अन्त्योदय
और
गरीबी उन्मूलन
डा. ज्ञान चन्द शर्मा

अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन

डॉ० ज्ञान चन्द शर्मा
एम. ए., पी-एच. डी.

उद्बोधन प्रकाशन
B-11, एम० एल० ए० क्वाटर्स,
जयपुर

अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन

डॉ० ज्ञान चन्द शर्मा
एम. ए., पी-एच. डी.

उद्बोधन प्रकाशन
B-11, एम० एल० ए० क्वार्टर्स,
जयपुर

गरीबी उन्मूलन के कर्णधार

भैरोंसिंह शेखावत

मुख्यमन्त्री, राजस्थान

भूमिका

अन्त्योदय मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं एक जीवनदर्शन भी है, विकास की एक अभिनव प्रक्रिया भी है और साथ ही एक आन्दोलन भी है। गांधीजी ने इसे जीवनदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। गरीबी की विभिषिका से त्रस्त परिवारों के विकास के लिए हमने इसे एक आन्दोलन के रूप में लिया है। राजस्थान के दुर्गम एवं दुरुह स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति भी आज इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में ५ निर्धनतम परिवारों का चयन प्रथम वर्ष में किया गया है और इस प्रकार १.६५ लाख परिवार इस वर्ष अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो सकेंगे। हम प्रति वर्ष ५ नवीन निर्धनतम परिवारों का चयन हर गांव से करेंगे। स्पष्ट है कि इतने विशाल कार्यक्रम के क्रिआन्वयन में अनेक कठिनाइयां आयेंगी। कार्यक्रम का विस्तार राज्य के कौने कौने में है और आर्थिक विकास के साधन सीमित हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि जिन व्यक्तियों के लिए यह कार्यक्रम है वे शारिरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आश्वस्त नहीं हैं। सदियों से वे शोषण से पीड़ित रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उनके लिए मात्र जो मौखिक वादे किए उनके फलस्वरूप उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है।

हमारा उद्देश्य इन परिवारों को मात्र आर्थिक सहायता प्रदत्त करना ही नहीं अपितु उनमें स्वावलम्बन का विश्वास लौटाना है। विस्तार के दृष्टिकोण से इतना बड़ा और कठिन

कार्य शायद विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम लिया गया है । मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी यह कार्यक्रम राजस्थान के विकास का एक निर्णायक कार्यक्रम बनेगा ।

जब तक १३५००० परिवारों को हम विभिन्न प्रकार की सहायता पहुंचा सकेंगे । इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में कई प्रकार की कठिनाइयां हमारे सामने आयेंगी । यह हर्ष का विषय है कि इन कठिनाइयों के बावजूद अब तक हम इतनी बड़ी संख्या में निर्धन परिवारों को सहायता पहुंचा सके हैं । अभी हाल ही में राज्य सरकार ने १८७ करोड़ रुपये की एक योजना वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए बनाई है ।

कोई भी कार्यक्रम मात्र सरकार द्वारा नहीं चलाया जा सकता । स्वयंसेवी संस्थाओं और हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदत्त करें । कार्यक्रम की लोकप्रियता इसीसे सिद्ध है कि राजस्थान में प्रारम्भ किया गया यह कार्यक्रम आज अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन गया है । यह कार्यक्रम एक ऐसे संगठित वर्ग को जन्म देगा जिसके फलस्वरूप भविष्य में गरीब व्यक्ति की उपेक्षा समाज एवं प्रशासन द्वारा असम्भव हो जायेगी ।

डा० ज्ञानचन्द शर्मा ने इस कार्यक्रम पर जो पुस्तक लिखी है वह कार्यक्रम की सफलता के लिए अनुकूल वातावरण बना सकेगी ऐसा मेरा विश्वास है । दरिद्रनारायण के उद्धार का बापू का सपना साकार हो इस दिशा में श्री शर्मा ने जो प्रयत्न किया है, मुझे विश्वास है कि उससे प्रशासन एवं अन्य व्यक्ति लाभान्वित होंगे ।

भैरोंसिंह शेखावत
मुख्यमन्त्री
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रकाशकीय

प्रिय पाठको,

"उद्‌बोधन" प्रकाशन का दूसरा प्रयास "अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन" विस्तृत विवरण सहित आपके हाथों में है। हमने प्रस्तुत पुस्तक में अन्त्योदय योजना के माध्यम से जनता सरकार द्वारा गरीबोत्थान के लिये किये जा रहे प्रयास के हर पहलू पर बारीकी से विश्लेषण किया है।

'अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन' पुस्तक से पूर्व हमारा प्रथम प्रयास "आपात् कालीन अग्नि-परीक्षा और राजस्थान" नामक पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत की थी जिसकी दैनिक राजस्थान पत्रिका, दैनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केशरी व अन्य दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों ने अपनी कलम से भूरि-भूरि प्रसंशा लिखते हुये एक अनूठा सजीव प्रयास बताया है। अपने ढंग की इस पुस्तक के माध्यम से हमने आपातकाल में राजस्थान में छाई कालीछाया का हृदय विदारक चित्रण किया है। उक्त पुस्तक में कांग्रेस शासन में हुये अमानवीय पुलिस जुल्म की असहनीय सत्य घटनाओं को प्रकाश में लाया गया है। इसीके साथ उन सभी कार्यकर्त्ताओं के नामों की सूचि व उपलब्ध सामग्री के आधार पर आपातकाल में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका व भूमिगत आंदोलन पर विशेष पठनीय सामग्री प्रकाशित की गई है।

इसी प्रकार "अन्त्योदय और गरीबी उन्मूलन" पुस्तक का प्रकाशन भी उद्बोधन प्रकाशन के माध्यम से किया जा रहा है। अन्त्योदय योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने गरीबी के मर्म को जाना है, गरीबी के कलंक का उन्मूलन करने के उद्देश्य की पूर्ति एवं गरीब को अर्थ सम्पन्न बनाने की जो अन्त्योदय योजना उन्होंने लागू की है उसी कार्य विधि का विस्तृत लेखा-जोखा पुस्तक के द्वारा आपके हाथों में पहुंचाया जा रहा है।

पाठकगण इस प्रयास के लिये अपनी सम्मति तथा प्रस्तुत पुस्तक में त्रुटियों के विषय में हमें अवगत कराने का कष्ट करेंगे। इसीके साथ सधन्वाद।

भवदीय
डॉ० इन्द्रकुमार तिवाड़ी

विषय-सूची

अध्याय १

गरीबी एक अभिशाप

मानव-समाज ऐसे विभिन्न समुदायों का एक समूह है जो आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। एक ही समुदाय में भी विभिन्न स्तर के व्यक्ति हो सकते हैं। समुदाय की बात ही क्या, एक परिवार में भी विभिन्न सदस्यों का मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक स्तर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव समाज विभिन्नताओं का एक समूह है।

यदि मानव समाज का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जाये तो मोटेतौर पर समाज के तीन वर्ग किये जा सकते हैं सबल, औसत और कमजोर।

सबल वर्ग से तात्पर्य उस वर्ग से है जो अपनी जीविका के लिए इतना धन कमाता है कि जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात् भी उसके पास काफी अधिक मात्रा में धन शेष रहता है। औसत वर्ग वह वर्ग है जो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित मात्रा में धन का उपार्जन करता है, लेकिन कमजोर वर्ग वह वर्ग है जो अपने जीवनयापन के लिए दो समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं कर सकता।

ये विभिन्न वर्ग आर्थिक रूप से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रहते, चूंकि ये सभी एक ही समाज के अंग हैं। एक के सुख दुख दूसरे वर्ग को अवश्य प्रभावित करते हैं, हो सकता है कि यह प्रभाव प्रत्यक्ष में नजर नहीं आये। इसलिए यदि पूर्ण समाज को सुखी एवं सम्पन्न बनाना है तो समाज के कमजोर वर्ग की सभी दुर्बलताओं को समाप्त करना होगा। कमजोर वर्ग की इन दुर्बलताओं का उन्मूलन केवल मात्र सरकार या कमजोर वर्ग के स्वयं के प्रयासों से सम्भव नहीं हो सकती इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी सामर्थ्यानुसार हर सम्भव सहयोग देना होगा। यदि यह कहा जाये कि समाज के सम्पन्न वर्ग का इस सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व है तो भी अनुचित नहीं होगा इस प्रकार से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास ही अपेक्षित परिणाम दे सकते हैं।

समाज में विद्यमान विभिन्नताओं को समाप्त करने के सम्बन्ध में गांधी जी ने १० सितम्बर, १९३१ के 'यंग इंडिया' में अपने सपनों के भारत की जो कल्पना की थी वह इस प्रकार थी—

> "मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें निर्धन यह अनुभव करें कि भारत उनका देश है और उसके निर्माण में उनकी आवाज प्रभावपूर्ण है, ऐसा भारत जिसमें कोई ऊंची और नीची श्रेणी के लोग नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सारे समुदाय पूरी शान्ति के साथ रहेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं रह सकता-स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होंगे। सभी ऐसे हित जो देश को करोड़ों मूक लोगों के विरुद्ध नहीं है सावधानी पूर्वक सम्मानित रहेंगे,

चाहे वे विदेशी हों या स्वदेशी। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-निर्वाह हेतु कार्य मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा—शासन की अहिंसक पद्धति तब तक बिल्कुल असम्भव रहेगी जब तक धनिकों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच चौड़ी खाई मौजूद है। यदि सम्पति का स्वैच्छिक विसर्जन न किया जाये और इस शक्ति का भी जो सम्पत्ति के कारण प्राप्त होती है और उनका सर्व सामान्य के हित में मिल जुलकर उपयोग न किया जाय तो एक दिन अवश्य ही हिंसक और रक्तरंजित क्रांति होने वाली है।"

स्वतन्त्र भारत के संविधान-निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आवश्यक प्रावधान किया है। संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक अन्याय और विषमता, विचार और धर्म आदि में पराधीनता, प्रगति और प्रतिष्ठा के अवसरों में विषमता की परिस्थिति को स्वीकार करके सबके लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व को उद्देश्य रूप में मान्य किया गया है।

संविधान में मूलभूत अधिकारों के विवेचन में सर्वप्रथम धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार आदि में जो परम्परागत बाधाएं अथवा प्रतिबन्ध आदि चले आ रहे हैं उन सबका वर्णन हुआ है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों और पदों पर सारे नागरिकों को अवसर की समता की घोषणा की गई है।

धारा १७ में अस्पृश्यता का अन्त किया गया है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध ठहराया गया है। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को लागू करना विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध माना गया है। जाति, धर्म आदि के आधार पर सामाजिक अयोग्यताओं की समाप्ति की गई है और बेगार

आदि जैसे आर्थिक शोषण तथा बालकों के खानों-कारखानों में काम करने का निषेध किया गया है जिससे गरीबों तथा बालकों का शोषण नहीं हो।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में भी सभी लोगों को जीविका के साधन सुलभ कराने स्त्री पुरुषों को समान कार्य का समान वेतन देने और श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा स्त्री और बालकों की निर्बल अवस्था का दुरुपयोग न होने देना और उनके शोषण को रोकने का समावेश किया गया है बेकारी बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता आदि की स्थिति में उन्हें सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार माना गया है। अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जन जातियों की आर्थिक उन्नति तथा सब प्रकार के शोषण एव सामाजिक अन्याय से उनके संरक्षण की विशेष व्यवस्था १५-१६ धाराओं में की गई है।

संविधान में वर्णित मूलभूत अधिकार एव नीति-निर्देशक तत्व मूल रूप से संविधान की भावना प्रकट करते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पिछले ३० वर्षों में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कितना प्रयास किया गया है ? इस क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ? इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल सरकार को ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान सच्चे दिल से देना होगा। तब ही कमजोर वर्ग का सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक उत्थान सम्भव हो सकेगा।

मानव की सबसे बडी कमजोरी गरीबी है, जैसा कि हितोपदेश में कहा गया है :—

दारिद्र्याद् ह्रियमेति ह्रीपरिगतः सत्वात्परिभ्रश्यते,
निः सत्त्व. परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापद्यते।

निर्वण्णः शुचमेति शोकनिहतो बुद्धया परित्यजयते,
निर्बुद्धि: क्षयमेत्य हो निधनता सर्वापदामास्पदम् ।।१३४।।
हितोपदेश मित्रलाभ,

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि दरिद्रता के कारण मनुष्य को लज्जा होती है, लज्जा से व्यक्ति का पराक्रम नष्ट होता है, पराक्रम न होने से शोकाकुल हो जाता है, शोकापन्न व्यक्ति की बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। बुद्धि के विनाश से व्यक्ति का सर्वनाश होता है। इस प्रकार निर्धनता ही सब विपत्तियों का घर है।

इससे स्पष्ट है कि मानव जीवन के लिए गरीबी एक अभिशाप है समाज की उन्नति के लिए मानव को इस अभिशाप से मुक्त करना ही होगा, वरना सुखी एवं समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही समाजों का एक बहुत बड़ा भाग कमजोर वर्गों का है। ये कमजोर लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। राजस्थान में लगभग ५६ प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी और ग्रामीण समाज में विद्यमान कमजोर वर्गों की तुलना की जाये तो पता चलता है कि शहरों की अपेक्षा गांवों में गरीबी अधिक भयंकर रूप से व्याप्त है। इसलिए समाज में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए सर्व प्रथम ग्रामों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार लाने के उपाय ढूंढने से पहले यह निर्णय करना होगा कि कमजोर वर्ग कौन है, उनकी परिभाषा किस प्रकार बनाई जाये तथा उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाये। कमजोर वर्गों

का वर्गीकरण उनके द्वारा किये जाने वाले पेशे, उनकी सामाजिक स्थिति, जाति तथा आमदनी के आधार पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग का अध्ययन जाति के आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान युग में आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ापन या कमजोर होना ही सबसे उचित आधार माना जाना चाहिए। संक्षेप में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जिन परिवारों की आय उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य नहीं है वे परिवार पिछड़े या कमजोर परिवार कहे जा सकते हैं। आर्थिक आधार पर कमजोर परिवारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

(१) ऐसे परिवार जिनके पास अनार्थिक जोत है अर्थात ऐसी या इतनी कम भूमि है जिसके उत्पादन से उस परिवार की दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती।

(२) भूमिहीन कृषि-मजदूर और अन्य मजदूर। गांवों मे ऐसे मजदूरों को स्थाई रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरी की दर इतनी कम होती है कि वह उसके जीविकोपार्जन के लिए काफी नहीं होती है।

(३) गांव के दस्तकार और कारीगर जो छोटी दस्तकारी में लगे हुए होते हैं, जैसे चमड़े का काम करने वाला, तेली, कुम्हार, टोकरी बनाने वाला आदि।

(४) ऐसे वर्ग जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों के कारण पिछड़े हुए हैं तथा अपने आपको वर्तमान आर्थिक जीवन से सम्बन्धित नहीं कर पाये हैं। इस श्रेणी में अनुसूचित जनजातियों को लिया जा सकता है।

.(५) ऐसे परिवार जिन्हें परिस्थितिवश अपने परम्परागत धन्धे करने पड़ रहे हैं। ये परम्परागत धन्धे आर्थिक दृष्टि-

कोण से लाभप्रद नहीं है। इस श्रेणी में अनुसूचित जातियां सम्मिलित की जा सकती है। /2

(६) वह वर्ग जो सामाजिक स्थिति के कारण तो समाज के उच्च वर्ग में गिने जाते हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर है।

(७) महिलाएं जो पूर्णरूप से अपने पति पर आश्रित हैं।

(८) घुमक्कड जातियां जो भीख मांग कर या छोटे धन्धे करके पेट पालती हैं।

(९) विधवाएं, अनाथ बालक, बूढ़े लोग, बेरोजगार, शारीरिक दृष्टि विकलांग इत्यादि। इस श्रेणी में सभी जातियों के लोग आ सकते हैं।

विभिन्न वर्गों की इस आर्थिक कमजोरी का प्रमुख कारण सामाजिक पिछड़ापन है जिसका मूलभूत कारण जाति-प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आर्थिक ढांचे का सामन्तवादी प्रकार और आबादी तथा साधनों का असन्तुलन भी इसके अन्य कारण हो सकते हैं।

निम्नलिखित कारणों से यह समस्या और भी जटिल बन गई है।

सामाजिक कारण :

(१) परिवार नियोजन का अभाव

(२) परम्परागत सामाजिक बन्धन एवं जाति संबंधी प्रतिबन्ध

(३) श्रम के महत्व को न समझना

आर्थिक कारण :

(१) निश्चित और लगातार रोजगार की कमी
(२) बड़े किसानों और साहूकारों द्वारा शोषण
(३) अनार्थिक जोत तथा खेती से कम आमदनी
(४) भूमिहीन मजदूरों की कम मजदूरी
(५) कृषि संबंधी तथा अन्य लघु उद्योगों के विकास की कमी।
(६) परम्परागत धन्धों तथा औजारों से कम उत्पादन।
(७) भौगोलिक परिस्थितियां।
(८) विकास योजनाओं का लाभ गावों तक न पहुंचना।
(९) आवागमन एवं शिक्षा के साधनों की कमी।

रूढ़िवादी विचारधारा :

(१) आलस्य की विचारधारा का विस्तार जो सांसारिक वस्तुओं के विरक्ति के दर्शन को गलत तरीके से समझने के कारण हुआ।

(२) भाग्य वादी विश्वास की उत्पत्ति जिसके कारण अधिक कमाने या अधिक उत्पादन के लिए मेहनत की अपेक्षा भाग्य पर निर्भर रहा जाता है।

(३) आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का पूरा लाभ न उठाना।

आर्थिक कमजोरी के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात् यह देखना होगा कि इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ऐसी कौन सी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन्हें उपलब्ध कराने से वे सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।

(१) पूरा रोजगार
(२) शिक्षा
(३) आवास तथा पीने के पानी की व्यवस्था
(४) स्वास्थ्य
(५) आर्थिक शोषण से सरंक्षण
(६) सामाजिक और सांस्कृतिक निर्योग्यताओं से मुक्ति
(७) अपव्यय पूर्ण और नाशकारी आदतों और रिवाजों की रोक-थाम और सामाजिक सुधार—

गरीबी या आर्थिक कमजोरी के कारणों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार को नीतियों का निर्धारण करते समय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे गरीब तथा कमजोर वर्ग को उपरोक्त सहूलियतें प्राप्त हो सकें इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विधायी प्रावधान रखने चाहिए जिनसे कमजोर वर्गों पर जबरदस्ती थोपी गई सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्योग्यताओं को हटाने में सहायता प्राप्त हो सके। कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए उनमें व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना असम्भव ही होगा। इस कार्य के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता है। राजस्थान में जनतापार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में इस कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए गांधीवादी आर्थिक विचार धारा "अन्त्योदय" को अपनाया है, जो न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबल बनायेगी बल्कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ कर स्वावलम्बी करेगी। गांवों के सुदृढ़ बनने से ही बापू के भारत का निर्माण सम्भव हो सकेगा। □□

अध्याय २

अन्त्योदय

रस्किन ने बाइबल के इस कथन "ईश्वर ने हाथी के लिए १ मन की तथा चीटी के लिए १ कण की व्यवस्था की है" से प्रभावित होकर कमजोर वर्गो की समस्या का समाधान अपने महान निबन्ध "अन्टु दि लास्ट" मे करने का प्रयास किया है। रस्किन के विचारानुसार जिस प्रकार सृष्टि के रचियता ईश्वर ने सबल और कमजोर दोनों के हितो की रक्षा करने की व्यवस्था की है उसी प्रकार इस समाज मे भी जैसी रक्षा पहली श्रेणी वाले की होनी है वैसी ही उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो सबसे अन्तिम स्थान पर है। रस्किन के इस विचार को इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि समाज मे ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न की जानी चाहिए जिनमे सबल और निर्बल दोनों को ही अपने-अपने सामर्थ्यानुसार उन्नति एव विकास के लिए साधन उपलब्ध हो। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रत्येक जनहित सबधी नीति का प्रभाव समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंच सके, ताकि वे समाज मे आत्मसम्मान से जीवन व्यतीत करने योग्य बन सके। अन्यथा सबल कमजोर के हितो को नष्ट करता हुआ दिन-प्रतिदिन अधिक शक्ति शाली बनता

जायेगा। परिणाम स्वरूप अस्तित्व के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष अवश्यभावी होगा जो समस्त समाज के लिए हानिकारक है।

रस्किन के इस निबन्ध से प्रभावित होकर गांधी जी ने समस्त समाज के कल्याण की कल्पना की। उन्होंने समस्त समाज के कल्याण को सर्वोदय की संज्ञा दी। इन शब्द में "सर्व भूत हितैरना" की कल्पना विद्यमान है। "सर्वोदय" मूलत. दो शब्दो सर्व + उदय से मिलकर बना है। इस शब्द का सीधा सादा अर्थ है सब का उदय अर्थात् समस्त मानव-जाति का आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान। गांधीजी के दर्शनानुसार सरकार को ऐसी नीतियां निर्धारित करनी चाहिए जिनसे समस्त समाज का भला हो।

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के अनुसार गांधी जी ने अन्त्योदय को ही सर्वोदय कहा, अर्थात् गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य अन्त्योदय से ही था। चूंकि गांधी जी का मानना था कि जब तक विकास की पंक्ति के अंत में खड़ा व्यक्ति सरकार की नीतियों से लाभान्वित नहीं होता है उस समय तक सर्वोदय की कल्पना व्यर्थ है। सबसे प्रथम हमे पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति को इस योग्य बनाना चाहिए ताकि वह अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में जूझ सके। अन्यथा इस संघर्ष में वह सबल के हितों की बलि बन जायेगा। यदि ऐसा होता है तो फिर सर्वोदय कहां ? चूंकि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी समाज का उसी प्रकार एक अंग है जिस प्रकार कि सबल; इसलिए समाज के इस वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के बगैर सम्पूर्ण समाज की उन्नति कैसे सम्भव हो सकती ?

गांधी जी के प्रिय भजनों और प्रार्थना प्रवचनों का यदि हम अध्ययन करे तो उनमें भी पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के कल्याण की भावना दृष्टिगोचर होती है।

न त्वहं कामये राज्यं पूतं स्वर्गं न पुर्नभवम्।
कामये दुःख-तप्तानां प्राणिना आर्तिनाशनम्।।

जिसका अर्थ है अपने लिए न मैं राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग की इच्छा करता हूं। मोक्ष भी मैं नही चाहता। मै तो यही चाहता हूं कि दु ख से तपे हुए प्राणियों की पीडा का नाश हो।

इस प्रकार उनके अन्य भजन इस प्रकार थे—

१. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परायी जाणें रे।
पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे।।

२. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान।।

गांधी जी के उपरोक्त भजनों एवं प्रार्थनाओ से स्पष्ट है कि उनके हृदय म कमजोर वर्ग के लिए कितनी व्यथा थी। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को त्यागने के लिए तैयार थे। विकास पंक्ति के अन्त मं खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान हेतु उसकी परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए उसके निकट जाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सबसे गरीब व्यक्ति की तरह अपने शरीर पर लंगोटी धारण की तथा गरीब और अछूतो की बस्ती में रहकर उनके कल्याण हेतु कार्य करने का निश्चय किया।

उन्होंने स्वयं को गरीबो की सेवा मे अर्पित कर उनमें आत्म-सम्मान, तेजस्विता, स्वाधीनता और शक्ति उत्पन्न करने का प्रयास किया। गांधीवादी विचारक श्री अप्पा साहब ने

18

विनोबा भावे से सर्वोदय पर चर्चा करते हुए कहा है, गांधी जी के सर्वोदय-सिद्धान्त को यदि अन्त्योदय कहा जाये तो अच्छा है। क्योंकि हमारे अछूत भाई, मुख्य रूप से भगी, सबसे आखिर दर्जे के हैं अर्थात् अप्पा साहब भी सर्वोदय को अन्त्योदय कहना अधिक उपयुक्त समझते थे। विनोबा भावे ने भी सर्वोदय का मूल अन्त्योदय ही माना है। उन्होंने कहा है कि सबसे नीची श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उनका भी, अन्त का भी, उदय सर्वोदय में ही है। लेकिन वे इसे सर्वोदय कहना ही अधिक पसन्द करते हैं। क्योंकि सर्वोदय में अन्त्योदय स्वयं हो जाता है। उनके विचार से उदय किसी का भी नहीं हुआ। उनका विचार है कि धन वालों की बुद्धि धन की संगति से जड़ और निस्तेज बन जाती है जो जड़ बन गये हैं उनका और जिनका खाने को नहीं मिलता है उनका दोनों का ही उदय होना बाकी है। इसलिए शब्द तो सर्वोदय ही रहे, लेकिन चिन्ता अन्त्योदय की रखें। इससे स्पष्ट है कि विनोबा जी का मानना है कि धन वालों का नैतिक उदय होना चाहिए, जबकि कमजोर वर्ग का आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान होना चाहिए।

कमजोर वर्ग की नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने प्रजातन्त्र की कल्पना इस प्रकार की थी--

"प्रजातन्त्र के बारे में मेरा मत है कि उसमें दुर्बल को भी वही अवसर मिलना चाहिए जो सबसे अधिक सबल को मिलता है"

गांधी जी के इस विचार को मूर्त्त रूप देने के उद्देश्य से ही स्वतन्त्र भारत के लिए संविधान-निर्माताओं ने संविधान में समानता के सिद्धान्त का समावेश किया है जिसके अनुसार

भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी उन्नति के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे, चाहे वह किसी भी जाति धर्म या सम्प्रदाय को मानने वाला हो।

सिद्धान्त रूप से तो समानता का अधिकार स्वीकार किया गया है लेकिन यदि व्यावहारिक रूप में देखा जाय तो स्पष्ट है कि समाज का सबल वर्ग ही सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है, जबकि पिछड़ा या कमजोर वर्ग पहले की अपेक्षा अधिक कमजोर या पिछड़ा हो गया है। इसका मूलभूत कारण देश के नेताओं द्वारा बनाई गई नीतियां एवं उसका क्रियान्वयन है। नीतियों के क्रियान्वयन का फल ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हुआ है। परिणाम स्वरूप समाज का उच्च वर्ग ही इन नीतियों से अधिक लाभान्वित हुआ है। इन नीतियों के क्रियान्वयन का परिणाम या तो निचले स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया या फिर बहुत थोड़ी मात्रा में पहुंचा। चूंकि समाज में कमजोर वर्ग का प्रतिशत सबल वर्ग की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए जो कुछ भी उन्हें निस्यन्दन के सिद्धान्त द्वारा प्राप्त हो सका है, उसका भी परिणाम दृष्टि गोचर नहीं हुआ है। फलस्वरूप अमीर तथा गरीब के बीच खाई बढ़ती ही चली गई है। अमीर अधिक गरीब होता चला गया।

पिछले तीस वर्षों में बनाई गई पचवर्षीय योजनाओं में अधिक धनराशि धनराशि शहरों तथा बड़े उद्योगों के विकास की दौड़ में शहर गावों से और भी अधिक आगे निकल गये। शहर और गाव के बीच खाई चौड़ी होती चली गई। शहरों में बड़े उद्योगों के विकास के कारण रोजगार प्राप्त करने के अधिक अवसर उत्पन्न हुए। फलस्वरूप बेरोजगार ग्रामीण जनता रोजगार प्राप्ति के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगी। परि-

णाम स्वरूप सस्ता मजदूर वर्ग उपलब्ध हुआ जो पूंजीपति वर्ग के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उसने अपनी स्वार्थ-पूर्ति हेतु मजदूर-वर्ग का शोषण आरम्भ किया। इस शोषण ने मजदूरों को अपने हितों तथा अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया। पूंजीपति उन अधिकारों को स्वीकार कर अपने स्वार्थों की बलि चढ़ाने को तैयार नहीं थे। इन परिस्थितियों ने शहरी समाज में वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया है जो वास्तव में समस्त समाज की उन्नति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस वर्ग-संघर्ष को टालने के लिए यह आवश्यक है कि अमीर और गरीब के बीच विद्यमान खाई को पाटा जाये।

ग्रामीण जनता के शहरों की ओर पलायन ने शहरों में आवास की समस्या उत्पन्न की जिसके परिणामस्वरूप शहरों में गंदी बस्तियों का पनपना आरम्भ हुआ। ग्रामीण जनता के पलायन ने गांवों के कुटीर उद्योगों को नष्ट कर ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से शहरों के बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर रहने को बाध्य किया। अर्थात् गांवों की रही-सही पूंजी का शहरों की तरफ प्रवाह हुआ जिसके फलस्वरूप गरीब ग्रामीण और भी अधिक गरीब बनता चला गया, जबकि पूंजीपति उनका शोषण कर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होता चला गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समाज में उत्पन्न हुई इन बुराइयों का वास्तविक कारण पिछले तीस वर्षों में बनाई गई योजनाएं तथा उनमें निर्धारित प्राथमिकताएं हैं।

वर्तमान जनता पार्टी की सरकार ने इस तथ्य को पहचाना है। गांवों के समग्र विकास हेतु इस सरकार ने अपने चुनाव-घोषणा पत्र में गांवों तथा ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास को

प्राथमिकता प्रदान की है। लघु उद्योगों के विकास की पक्षपाती होते हुए भी वह बड़े उद्योगों की विरोधी नहीं है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जिसका बड़ा भाग गावों में रहता है उसका विकास करना ही है। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने राजनैतिक तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरण को मुख्य आधार स्वीकार किया है। इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण किया गया है।

राजस्थान में विधान सभा के चुनावों के पश्चात् जनता ने जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत से विजयी बनाया। फलस्वरूप राज्य में जनता पार्टी की सरकार का निर्माण हुआ। जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री-पद का भार श्री भैरोंसिंह शेखावत के कधों पर पड़ा। इस सरकार के वित्तमंत्री श्री मास्टर आदित्यन्द्र जी ने जनता पार्टी के प्रथम बजट को विधानसभा में पेश करते हुये घोषणा की कि जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक गाव से सबसे अधिक गरीब पाच परिवारों का आर्थिक उत्थान करेगी। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के ३३ हजार गावों से लगभग एक लाख साठ हजार परिवारों का चयन किया जायेगा। इन परिवारों का चयन ग्राम पंचायत तथा अन्य जनता के प्रतिनिधियों की सहायता से किया जायेगा। इस योजना को अन्त्योदय के नाम से पुकारा गया। अन्त्योदय शब्द दो शब्दों "अन्त + उदय" अर्थात सबसे अधिक गरीब व्यक्ति, जो बेसहारा और निराश्रित है अपनी जीविका के साधनों के अभाव में कमाने में सक्षम होते हुए भी न कमा सके, ऐसे व्यक्ति का उदय अर्थात् आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से उसका उत्थान करना।

जैसा कि इस शब्द अन्त्योदय से स्पष्ट है, यह योजना ग्रामीण समाज के सबसे अधिक गरीब व्यक्ति से ही सबंधित है।

इस योजना के अन्तर्गत विकास का लाभ सबसे गरीब व्यक्ति को मिलेगा, उसके पश्चात् उससे कम गरीब को। इस प्रकार विकास का लाभ गरीब से अमीर की ओर जायेगा।

अब तक योजनागत नियोजन का लाभ समाज के समृद्ध वर्ग से गरीब की ओर प्रवाहित हुआ है। फलस्वरूप गरीब और अमीर के बीच की विषमताएं बढ़ी हैं। आज भी देश की जन-संख्या का एक बडा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने को मजबूर है। उनकी ऐसी स्थिति है कि वे दिन में दो समय भोजन भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, अन्य आवश्यकताओं की तो बात ही क्या?

राजस्थान में ५६ प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन बीता रहे हैं। इस असमानता तथा अमीर और गरीब के बीच खाई का एक मात्र कारण पिछली पंच वर्षीय योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताएं हैं। यदि समाज के गरीब वर्ग का उत्थान करना सरकार का उद्देश्य है तो उसे योजना की प्राथ-मिकताओं को बदलना होगा। सरकार को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी होंगी जिनमें गरीब और अमीर अपनी उन्नति के लिए समान अवसर का लाभ उठा सकें। गरीब के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि विकास की शुरूआत उस व्यक्ति से प्रारम्भ हो जो विकास के क्रम में अंत में है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के अनुसार गरीबों का उत्थान तब ही सम्भव हो सकता है जब गरीब तथा अमीर, नगर तथा ग्राम, सरकार और जनता के बीच विद्यमान उन सब खाइयों को पाट दिया जाये जिनके कारण भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। कांग्रेसी सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं में गांवों की उपेक्षा के फलस्वरूप शहरों की ओर निष्क्रमण बढ़ा

जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नियोजन में गलत प्राथमिकताएं निर्धारित करने के कारण ही ये सब प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें दूर करने का केवल मात्र उपाय अन्त्योदय ही है। इसके साथ-साथ सरकार को ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को तेज करना होगा। गरीबों का उत्थान या ग्राम-विकास गरीबों में एक नया आत्म-विश्वास उत्पन्न करेगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देश में वे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए जनता पार्टी के चुनाव-घोषणा-पत्रानुसार गांधी वादी आर्थिक विचारधारा को कार्य रूप में परिणत करने का गौरव प्राप्त किया है। निश्चय ही यह योजना उस विकास-क्रम को बदलने के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है, जिसके द्वारा केवल अमीर लोग ही लाभान्वित हुए हैं और गरीब तथा अमीर के बीच की खाई बढी है। इस योजना द्वारा महात्मा गांधी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आदेशों के अनुरूप दरिद्रनारायण के विकास पर पहली बार सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किया गया विनियोजन इस विराट् योजना का पूरक होगा। जनता पार्टी द्वारा गांधी जी की समाधि पर गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप चलने के लिए ली गई शपथ को मूर्त रूप देना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है। चूंकि गांधी जी गरीबों के सच्चे हितैषी एवं उद्धारक थे, इसलिए इस योजना का श्री गणेश उनके जन्म दिवस २ अक्टूबर, ७७ को कर श्री शेखावत ने उन्हें वास्तविक श्रद्धान्जली अर्पित की है। श्री शेखावत के अनुसार यह योजना न केवल दरिद्रनारायण की उद्धारक सिद्ध होगी बल्कि देश में आर्थिक व राजनैतिक विकेन्द्रीकरण एवं लोकतन्त्र को सशक्त बनाने की दशा में भी अपेक्षित कदम सिद्ध होगी।

□□

बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बनाया जायेगा।

प्रस्तावित योजनानुसार पाच वर्षों की अवधि में लगभग ६ लाख निर्धनतम परिवारों का चयन किया जावेगा। इनमे से २–६० लाख परिवारों को १०५ करोड रु० की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायगी। शेष बचे ३ १० लाख परिवारों में से ४१००० परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन के तहत, ४४००० परिवारों को भूमि आवंटन से ८५००० परिवारों को खादी ग्रामोद्योग तथा ३६००० परिवारों को ग्रामीण एव कुटीर उद्योगो के तहत लाभान्वित किया जायगा। ५ वर्षों की अवधि में इन परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु ५० करोड रु० की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य सरकार ने इस योजना को अगले १० वर्षों तक जारी रखने का निश्चय किया है आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले १० वर्षों में गरीबी का उन्मूलन सम्भव हो सकेगा।

परिवारों का चयन :

इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि अन्त्योदय परिवारो का चयन न्यायोचित हो। इसलिए इस चयन के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया एवं मापदण्ड-निर्धारित किया जाना चाहिए। सरकार ने इन परिवारों का चयन ग्राम सभा, जिसमे गांव के सभी व्यक्ति भाग लें, के द्वारा सम्पन्न कराने का निर्णय किया है। इस प्रकार की प्रक्रिया वास्तव मे जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार राज-नैतिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देगी। ग्राम-सभा ही निर्णय करेगी कि गाव मे सबसे अधिक गरीब पांच परिवार कौन-कौन से है।

गरीब परिवारों के चयन के लिए विकास-अधिकारी तह-सीलदार के साथ विचार-विमर्श कर ग्रामसभा बुलाने का निर्णय लेता है। इस सभा की सूचना कई दिन पहले संबधित क्षेत्र के लोकसभा-सदस्य, विधानसभा-सदस्य तथा सरपंच को दे दी जाती है ताकि वे भी ग्रामसभा में भाग लेकर अन्त्योदय परिवारो के चयन में सहायता कर सकें। ग्राम का पटवारी तथा ग्रामसेवक भी इस सभा में भाग लेते हैं। इस सभा की सारी कार्यवाही को लिपिबद्ध कर दिया जाता है। सभा की अध्यक्षता विकास अधि-कारी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार या पचायत समिति के प्रसार-अधिकारी द्वारा की जाती है। पटवारी या ग्रामसेवक द्वारा गांव विशेष के १० या १५ परिवारो की आर्थिक स्थिति का लेखा तैयार किया जाता है तथा इस सम्बन्ध मे ग्राम सभा मे विचार विमर्श किया जाता है। इस तरह से ग्रामसभा मे उपस्थित सभी लोगों की सलाह से अन्त्योदय-परिवारो का चयन किया जाता है। इस विधि से स्पष्ट है कि अन्त्योदय-परिवारों का चयन पूर्ण रूप से लोकतात्रिक विधि से किया जाता है, जिस पर समस्त ग्रामवा-सियों की स्वीकृति की मोहर लगी होती है। इस विधि से यह भी स्पष्ट है कि परिवारो के चयन मे राजनीति का कोई हस्तक्षेप नही है, जो इस योजना को सफलता के लिए परम आवश्यक है।

इन परिवारो के चयन के अतिरिक्त इन ग्रामसभाओं में ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति, उनकी व्यावसायिक दक्षता इत्यादि पर भी विचार किया जाता है, ताकि उनकी योग्यता एव क्षमता के अनुसार ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामसभा द्वारा एकत्रित सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा तैयार किया जाता है, जिससे ऐसे परिवारो को स्वावलम्बी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओ के निर्माण मे सहायता प्राप्त हो सके।

इस आर्थिक एवं सामाजिक लेखे जोखे में उन परिवारों की आर्थिक स्थिति, चल या अचल सम्पत्ति, ऋण-ग्रस्तता, व्यावसायिक अनुभव तथा इनके द्वारा सुझाये गये विकास संबंधित उपाय सम्मिलित होते हैं। इन तथ्यों के आधार पर ही प्रत्येक खण्ड-स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार से जिले के विभिन्न खण्डों पर बनाई गई योजनाओं का अध्ययन कर ही जिला-स्तर पर योजना बनाई जाती है, जिसमें इन सभी तथ्यों का समावेश होता है।

परिवारों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड :

चूंकि प्रदेश में गरीबी एक विकराल रूप धारण किये हुए है, इसलिए अन्त्योदय-परिवारों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड होने चाहिए। इसलिए सरकार ने इस कार्य हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये हैं :—

१. ऐसे परिवार जिनके पास कोई चल या अचल सम्पत्ति नहीं है तथा जिनमें १५–५६ वर्ष की आयु का एक भी व्यक्ति कमाने योग्य नहीं है।

२. ऐसे परिवार जिनके पास चल या अचल सम्पत्ति नहीं है लेकिन जिनके किसी व्यक्ति की वार्षिक आय १२०० रुपये से अधिक नहीं है। इस श्रेणी में अधिकतर खेतीहर मजदूर सम्मिलित किये जा सकते हैं।

३ ऐसे परिवार जो भूमिहीन हैं या किसी प्रकार के लघु उद्योग में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी वार्षिक आय १२०० से १८०० के बीच है।

४ ऐसे परिवार जिनके पास थोड़ी मात्रा में भूमि तो है लेकिन वे फिर भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

कार्यक्रम :

अन्त्योदय-परिवारों के उत्थान के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किये जाने चाहिए जो उनकी पसन्द तथा व्यावसायिक कुशलता के अनुसार हों तथा गावों की वर्तमान आर्थिक स्थिति, साधनों आदि की उपलब्धि पर आधारित हों। विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न आर्थिक स्तर के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा।

इन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाने में पहले राज्य सरकार ने राज्य के पाच जिलो—कोटा, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनु तथा चित्तौड़गढ में सर्वे कराया है। इस सर्वे से पता चला कि अधिकाश ऐसे परिवारों के पास अपनी कोई जमीन नही है और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी २० रुपये प्रति माह से कम है। ऐसे परिवारों में ६० प्रतिशत दस्तकार, १० प्रतिशत मुसलमान, ३० प्रतिशत परिवार अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के हैं। इन परिवारो की आवश्यकताए एवं प्राथमिकताए कृषि-भूमि, मवेशी भेड-बकरिया, ऊट बैल गाडी, चर्म उद्योग, सिलाई, हाथ-करघा तथा अन्य कुटीर उद्योग हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य के स्त्रोतो से पहला काम इन परिवारो को स्वावलम्बी बनाना होगा और राज्य मे चल रहे विकास के सभी कार्यक्रम अन्त्योदय-योजना के अंग बना दिये जायेंगे। इन कार्यो में अन्त्योदय-परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

१. ऋण-नीति :

ऐसे परिवारो के उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन उनके व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि उसकी सहा-

यता से वे स्वतन्त्र रूप से अपना व्यवसाय कर सकें। ऋण के संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्त्योदय-योजना के अन्तर्गत आने वाले छोटे किसान को २५ प्रतिशत तथा खेतीहर मजदूरों-ग्रामीण दस्तकारों तथा अति निम्न श्रेणी के किसानों को ३३⅓ प्रतिशत ऋण अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

२. भूमि-आवंटन :

वे परिवार जिनका सम्बन्ध भूमि से है या किसी अन्य की भूमि लेकर खेती इत्यादि का कार्य करते है, उनको भूमि आवंटित कर उन्हे स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जायेगा। लेकिन यह कार्य उन्हीं क्षेत्रों मे सम्भव हो सकेगा, जहा उचित मात्रा मे उपलब्ध है भूमि के आवटन के अन्तर्गत खेती योग्य एवं चारागाह भूमि का आवंटन सम्मिलित है।

३. खेती के लिए पशु उपलब्ध कराना :

लघु कृषक-विकास-अधिकरण तथा सूखा प्रवण-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अन्त्योदय–परिवारो को खेती के लिए बैल या ऊट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस ऋण-राशि का ३३⅓ प्रतिशत अनुदान के रूप मे होगा।

४. दुधारू पशुओं के लिए ऋण :

जहा दूध के लिए पशुपालन का कार्य सम्भव है ऐसे क्षेत्र के परिवारो को गाय या भैंस खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि वे दूध की बिक्री कर अपनी जीविका कमा सकें।

५. लघु उद्योगों का विकास :

लघु-उद्योग अन्त्योदय-परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बना सकेंगे। लघु उद्योगों के विकास तथा बड़े उद्योगों के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने गांव में ऐसे परिवारों को चरखों व करघो का वितरण करने का निश्चय किया है। बैलों से चलने वाली घाणियां, चर्म उद्योग, कली के भट्टे, मिट्टी के बर्तन, तथा अन्य ग्रामीण लघु उद्योगो के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

६. अस्थाई रोजगार :

१. गांवो के १५ किलोमीटर की परिधि में स्थापित बड़े उद्योगों मे अन्त्योदय-परिवार के सदस्यो को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी उपलब्ध कराई जायेगी।

२ सार्वजनिक निर्माण-विभाग या अन्य राहत के चल रहे निर्माण कार्य में अन्त्योदय-परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा।

३. ऐसे परिवार के सदस्यों को राजस्थान नहर परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। २ वर्ष तक कार्य करने के पश्चात् इन्हें राजस्थान नहर के क्षेत्र मे ही कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया जायेगा।

७. पेंशन :

आर्थिक साधनो से वंचित उन परिवारो को जिनमें १५–५९ वर्ष के आयु वर्ग में कमाने वाला व्यक्ति नहीं हो तथा वे शारीरिक अयोग्यता या बुढापे के कारण अपनी आजीविका

कमाने में असमर्थ हों उन्हें खर्च के लिए ४० रुपये मासिक पेंशन दी जा सकेगी।

८. सरकारी विभागों में नियोजन :

अन्त्योदय-परिवारों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि सरकारी विभागों में प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

९. खानों का ठेका :

राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि छोटी पत्थर की खाने अन्त्योदय परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए ताकि वे उनको अपनी जीविका का स्थायी साधन बना सकें।

१०. घास तथा बागवानी के लिए भूमि :

पहाड़ी जिले विशेष कर उदयपुर, डूंगरपुर आदि के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बस्तियों के आस-पास खेतों से लगे व्यर्थ पड़े पहाड़ी ढलानों को केवल घास एवं बागवानी के उद्देश्य से अन्त्योदय-परिवारों को आवंटित कर दिया जाना चाहिए।

११. पशुपालन :

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पशुपालन की योजनाएं भी स्थायी रोजगार के रूप में अन्त्योदय–परिवारों की गरीबी दूर करने में सहायक हो सकती हैं। इसलिए क्षेत्रों में पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु अन्त्योदय-परिवारों को ऋण

उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इन परिवारों को भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी इत्यादि की खरीद के लिए ऋण देने की व्यवस्था की है। राज्य के जिन १० जिलों में पशुपालन कार्यक्रम चल रहा है उन जिलों में अन्त्योदय-परिवारों को ३० भेड़ें और एक मेंढे की इकाई दी जायेगी। इनका विपणन भी राज्य सहकारी भेड़ व ऊन मण्डल से जोड़ दिया जायेगा। इसी प्रकार १० बकरों की ईकाई को आर्थिक दृष्टि से वाछनीय माना गया है। प्रायोगिक पूछताछ के दौरान भी अन्त्योदय-परिवारों ने बकरा इकाइयों की स्पष्ट प्राथमिकता बताई थी। बड़े शहरों से घिरे हुए गावों में अन्त्योदय-परिवारों को कुक्कट की इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उचित विपणन-व्यवस्थाएं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से की जायेगी। भरतपुर और अलवर जिलों में जहां शूकर-विकास की संभावनाएं हैं, शूकर विकास कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणत करने का दायित्व जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इस व्यवस्था में पंचायतों तथा विकास हेतु बनाई गई संस्थाओं का विशेष उत्तरदायित्व होगा। जिलाधीश इन सब कार्यक्रमों में सामन्जस्य स्थापित कर उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह जिला विकास-अधिकरण, एस० एफ० डी० ए० के माध्यम से डी० पी० ए० पी० तथा एस० एफ० डी० ए० द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करेगा। इस हेतु प्रत्येक जिले में विकास-अधिकरण का गठन कर दिया गया है। परिवारों को अनुदान आदि स्वीकृत करने का कार्य डी० डी० ए० तथा एस० एफ० डी० ए० द्वारा किया

जायेगा । इन परिवारों को विभिन्न व्यावसायिक एवं सहकारी बैंकों से विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जायेगी ।

जिले में इन परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान के लिए बनाई गई योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया गया है । इस कमेटी में जिलाप्रमुख, विधायक, जिला स्तर के अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, दुग्ध सगठनों के सदस्य, सहकारी तथा व्यावसायिक बैंको के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे । डी. डी. ए. या एस. एफ. डी ए. का प्रॉजेक्ट-निदेशक इस कमेटी के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

इस प्रकार से इस कमेटी में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यो को मनोनीत कर सरकार ने इस कार्य में सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है ।

योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पचायत-समिति को इकाई के रूप मे स्वीकार किया गया है । इसी स्तर पर अन्त्योदय-परिवारों का चयन, उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का लेखा-जोखा तैयार करना, उन्हे सहायता देने संबंधी योजनाओ का निर्माण आदि का कार्य होना है । तहसील-स्तर पर विकास अधिकारी तथा प्रसार विभाग के कर्मचारी अन्त्योदय-परिवारों को विभिन्न कार्यक्रमो के लिए ऋण उपलब्ध कराने या आर्थिक सहायता प्राप्त करवाने का कार्य करेंगे । योजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिए जिला एव ब्लाक स्तर के सभी राजस्व कर्मचारियो को हिदायत दी गई है कि वे इसकी सफलता के लिए अपना पूर्ण योगदान दें ।

सभी जिलों में बनाई गई योजना तथा उसके क्रियान्वयन को उचित दिशा-निर्देश देने के लिए राज्य स्तर पर उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे तथा विभिन्न विभागों के सचिव जिनका विकास संबंधी कार्यों से संबंध है इस कमेटी के सदस्य मनोनीत किये गये हैं। यह कमेटी योजना को लागू करने में हुई प्रगति का अवलोकन करेगी तथा योजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश देगी। कार्यक्रमों के लागू करने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के उपाय भी सुझायेगी।

इस योजना के लिए नीति-निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संबंधित विभागों के मंत्रियों तथा सचिवों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के रूप में खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, समाजसेवी संस्थाओं के लोग, अर्थ शास्त्री तथा समाज सेवक कमेटी के सदस्य होंगे। इस प्रकार से इस उच्च स्तरीय कमेटी में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर, समिति का समाजीकरण कर और राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर सरकार ने जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुरूप कार्य किया है। इस योजना को तेजी तथा उचित रूप से लागू करने के उद्देश्य से इस की देखभाल मुख्य मंत्री स्वयं करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य-सरकार-शासन सचिवालय में इस योजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है।

राज्य स्तर, जिलास्तर, तहसील-स्तर एवं गांव स्तर पर विभिन्न कमेटियों का गठन कर इस योजना को घोषित उद्देश्यों के अनुरूप लागू करने का प्रयास किया गया है। इस योजना की

सफलता या असफलता इन कमेटियों की भूमिका तथा कमेटियों का समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों पर निर्भर करती है।

योजना को कारगर रूप से लागू करने के लिए उचित होगा कि पंचायत-स्तर पर प्रसार-अधिकारियों में क्षेत्र बांटकर चयनित परिवारों को आगे लाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए और ग्राम स्तर पर अध्यापकों, को इन परिवारों से नियमित सम्पर्क रखकर उनकी सहायता का दायित्व सौंप देना चाहिए। इस व्यवस्था से प्रत्येक प्रसार-अधिकारी पर योजना के क्रिया-न्वयन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित हो सकेगी। इस व्य-वस्था से अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकेंगे।

दुरुपयोग को रोकना :

अन्त्योदय परिवारों को दी जाने वाली सहायता तब ही फलदायक हो सकती है जबकि उसका सही उपयोग हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री शेखावत ने अन्त्यो-दय के सबंध में राज्य नीति-निर्धारण-समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ऋण देना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं।

जिला प्रशासन द्वारा योजना के प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण दिये जा रहे हैं, उनसे निकट का सम्पर्क बनाया रखा जाये। इससे यह सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि ऋण प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति ऋण-राशि का सही उपयोग कर रहा है अथवा नहीं। इसलिए सरकार ने पंचायत क्षेत्र-स्तर पर ग्राम-सेवकों तथा पटवारियों को तथा पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारियों एवं तहसीलदारों को विशेष दायित्व

सौंपा है। ये कर्मचारी एवं अधिकारी अन्त्योदय परिवारों को प्राप्त ऋण का सही उपयोग करने तथा आय बढ़ाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को हल करने में हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त जिलास्तर पर जिलाधीश एवं तहसील स्तर तक विकास अधिकारी तथा तहसीलदार को यह हिदायत दी गई है कि वे विभिन्न स्थानों पर जाकर अन्त्योदय-परिवारों से सम्पर्क स्थापित कर यह पता लगायें कि उनको दी गई आर्थिक सहायता का उचित उपयोग हुआ है या नहीं। इस प्रकार की निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार ने गांव के सरपंच को भी उत्तरदायी ठहराया है। यदि वह किसी प्रकार की अनियमितता देखता है तो उसे इस संबंध में विकास-अधिकारी या जिलाधीश को तत्काल सूचित कर देना चाहिए।

अन्त्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता नकद नहीं देने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न व्यक्तियों एवं अधिकारियों के सहयोग से गाय भैंस, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी अथवा भेड़-इकाई की खरीद कर अन्त्योदय-परिवारों को दी जाने वाली ऋण संबंधी सहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला समितियों में विधायकों का मनोनयन किया है। इन मनोनीत विधायकों की संख्या ६७ है। इस योजना के क्रियान्वयन को सफल बनाने हेतु विधायकों का कर्तव्य होगा कि वे इन परिवारों के बारे में निकट से जानकारी प्राप्त कर राज्य सरकार को सूचित करें।

चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपने जीवनयापन के लिए साहूकारों से कर्ज लेता आया है इसलिए उनको सहायता मिलते ही साहूकार अपने धन की वापिसी का प्रयास कर सकते

हैं। इस शका को ध्यान मे रखते हुए मुख्यमंत्री ने साहूकारों को चेतावनी भी दी है कि वे इन परिवारों को मिलने वाले ऋण पर गिद्ध दृष्टि न डालें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो सरकार को ऐसे साहूकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

गावों मे नियुक्त अध्यापक या अन्य सरकारी कर्मचारी को भी यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए कि वे भी अन्त्योदय-परिवारों को धन का सदुपयोग करने के लिए उचित निर्देशन दें। अगर उसका दुरुपयोग होता है तो इसकी सूचना तत्काल सरकार को दी जाये।

इन परिवारों को ऋण आदि उपलब्ध कराने से पहले सरकार को ऐसे परिवारों से शपथ-पत्र भरवाना चाहिए कि वे किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, अन्यथा ये परिवार उस धन राशि का दुरुपयोग शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन में कर सकते हैं।

इन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए दी गई वस्तु जैसे भैंस गाय, ऊंट गाडा या बैलगाडी का समय पर अवलोकन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका उपयोग हो रहा है या नहीं अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि साहूकार इन वस्तुओं को अपने कर्ज के बदले मे प्राप्त कर ले।

इस योजना के क्रियान्वयन में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्त्ता भी अपनी विशेष भूमिका अदा कर सकते हैं। वे अन्त्योदय परिवारों से सम्पर्क कर सरकार द्वारा दी गई सहायता के दुरुपयोग पर कड़ी निगाह रख सकते हैं तथा उन परिवारों को आर्थिक सहायता के सही उपयोग के लिए मार्ग निर्देशन कर सकते हैं।

योजना की सफलता सरकार द्वारा अन्त्योदय परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के सही उपयोग पर ही निर्भर करती है।

□□

अध्याय ४

योजना का क्रियान्वयन

राज्य के विभिन्न भागों में रहने के कारण परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि में विभिन्नता है। इसके साथ-साथ इन परिवारों की व्यावसायिक कुशलता तथा कार्यक्षमता में भी अन्तर होना स्वाभाविक है। इसलिए सभी परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित करना उचित नहीं होगा। विभिन्न गांवों की भौगोलिक स्थिति, परिवारों की कार्यकुशलता, व्यवसायिक दक्षता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की घोषणा की है।

सरकार द्वारा की गई प्रायोगिक जानकारी से भी पता लगा है कि अधिकतर गरीब परिवार कृषि-भूमि चाहते हैं। इन परिवारों का मानना है कि कृषि द्वारा वे अपनी जीविका का स्थाई साधन ढूंढ सकेंगे। इन परिवारों की पसन्द को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिकतर परिवारों को कृषि-योग्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने से पहले यह सोचना भी आवश्यक होगा कि क्या सभी परिवारों को भूमि का आवंटन करना सम्भव

हो सकेगा ? चूं कि राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि की एक निश्चित सीमा है। यदि वह भूमि सभी परिवारों को समान रूप से बांट दी जाती है तो एक परिवार के हिस्से में इतनी कम भूमि आयेगी जो आर्थिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकती। इसके साथ साथ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि क्या सभी परिवार कृषि करने में सक्षम हैं ? विभिन्न परिवारों एवं व्यक्तियों में प्राकृतिक विभिन्नता के कारण सब एक ही प्रकार का व्यवसाय कर अपनी जीविका नहीं कमा सकते। इसके अतिरिक्त यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि ऐसा किया गया तो व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी असम्भव हो जायेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकता। इसलिए यह व्यवस्था समाज में असन्तुलन को जन्म देगी जो समाज के विकास में एक महान् बाधा सिद्ध होगा। इसलिए विभिन्न व्यक्तियों को उनकी सामाजिक पृष्ठ-भूमि, शारीरिक रचना, व्यावसायिक अनुभव, कार्यकुशलता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसलिए सरकार ने इस योजना को बहुमुखी बनाने का निर्णय लेते हुए घोषणा की कि राज्य के सभी विकास-कार्यक्रम अन्त्योदय-योजना के अंग माने जावेंगे। इन सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत सबसे पहले अन्त्योदय-परिवारों को सहायता प्रदान की जायेगी। इस निर्णय से स्पष्ट है कि सरकार इस योजना को किसी विभाग विशेष की बनाकर संकुचित दायरे में नहीं रखना चाहती। इसके अतिरिक्त यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता

है कि सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कटिबद्ध है तथा सभी विभागों का सहयोग प्राप्त करना चाहती है ।

भूमि का आवंटन :

चूंकि अन्त्योदयी परिवारों की प्रथम पसन्द कृषि-योग्य भूमि प्राप्त करना है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में उपलब्ध कृषि-योग्य भूमि को अन्त्योदय-परिवारों में ही वितरण किया जायेगा । भूमि की कमी-पूर्ति के लिए सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य को प्राप्त होने वाली भूमि का वितरण भी अन्त्योदय-परिवारों में ही किया जायेगा । इसलिए इस कानून को तेजी से लागू किया जायेगा ताकि अन्त्योदय-परिवारों के लिए अधिक से अधिक भूमि प्राप्त की जा सके । सीलिंग कानून का तेजी से लागू करना एक क्रांतिकारी कदम है जो सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण तथा परिवारों को आर्थिक रूप से सबल बनाने में सहायक सिद्ध होगा । इस कानून को लागू करने में यदि कानूनी अड़चने उत्पन्न होती है तो सरकार विशेष विधायी कदम उठाने को भी तैयार है । इससे स्पष्ट है कि सरकार ईमानदारी से गरीबी मिटाने हेतु सच्चे समाजवाद की ओर अग्रसर है ।

रेगिस्तानी इलाकों में भूमि-आवटन पर कई प्रकार की कानूनी पाबन्दियां हैं । लेकिन सरकार की इच्छा अधिक से अधिक परिवारों को भूमि आवंटित करने की है । इसलिए मंत्री-मण्डल ने मरुस्थलीय जिलों मे भूमि आवटन संबंधी कानूनों मे छूट देने का निर्णय लिया है । इस निर्णय के कारण अब जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, बीकानेर, चूरू तथा पाली जिलों मे अन्त्योदय-परिवारों की आर्थिक स्थिति मे सुधार को ध्यान में

रखते हुए कृषि एवं पशुपालन आदि कार्यों के लिए भूमि का आवटन किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इन जिलों में गावों की सख्या कम है तथा भूमि अधिक है। अतः भूमि-आवंटन द्वारा लाभांवित होने वाले अन्त्योदय-परिवारों को जमीन की आवश्यकता मामूली होगी। इन निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सबंधित जिलों के जिलाधीशों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं। इन निर्देशों के अनुसार उचित आकार के छोटे छोटे भूखण्ड अन्त्योदय-परिवारों को आवटित कर दिये जायें तथा बड़े बड़े भूखण्ड यथासम्भव मरुस्थलीय विकास-कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जायें।

भूमि-आवंटन के संबंध में राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अन्त्योदय-परिवारों को अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान नहर परियोजना पर लगाया जायेगा। जो परिवार इस नहर के निर्माण-कार्य पर लगातार २ वर्ष तक कार्य करेगा उसे राजस्थान-नहर-क्षेत्र में ही कृषि-योग्य भूमि दी जायगी। इस निर्णय से दो लाभ होंगे। प्रथम तो बेरोजगार अन्त्योदय-परिवारों को रोजगार प्राप्त होगा, दूसरे राजस्थान नहर का निर्माण अधिक मजदूरों के उपलब्ध होने से जल्दी सम्भव हो सकेगा।

ऐसे परिवारों को कृषि योग्य भूमि के आवटन के साथ कृषि के लिए उपयोगी अन्य वस्तुओं, जैसे बैल, ऊंट, हल-बीज इत्यादि, के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे आवटित भूमि का सही उपयोग कर सकें अन्यथा भूमि का आवटन निरर्थक सिद्ध होगा। किसानों को आर्थिक सहायता पहुचाने का कार्य लघु कृषक-विकास-योजना तथा सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इस हेतु उन्हें ३३ प्रतिशत ऋण की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी।

भूमि का आवटन करते समय यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वह अनार्थिक जोत न हो अन्यथा भूमि-आवटन का उद्देश्य निष्फल सिद्ध हो जायेगा। दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है भूमि की सीमा तथा उसकी उत्पादकता इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे अन्त्योदय-परिवार खेती योग्य पशु रखकर उस भूमि के उत्पादन से अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसके अतिरिक्त आवंटित भूमि पर कब्जा दिलवाने तथा उसमें बुवाई का उत्तरदायित्व भी सरकारी अधिकारियो का होना चाहिए अन्यथा समाज विरोधी तत्व इस कार्य में रुकावट पैदा कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में एक वर्ष में करीब ४० हजार परिवारो को भूमि आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार ३७३३८ परिवारों को भूमि का आवंटन कर भी चुकी है।

पशुपालन :

कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त अन्त्योदय-परिवारों की दूसरी प्राथमिकता पशुपालन की है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियो के अनुसार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन भी स्थाई रोजगार उपलब्ध करा सकता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के अन्त्योदय-परिवारो को पशुपालन-कार्य हेतु आवश्यक ऋण संबंधी सहूलियत प्रदान की जानी चाहिए।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में अन्त्योदय-परिवारो को दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इन पशुओं के दूध के विपणन की व्यवस्था को भी राज्य दुग्ध विपणन सघ से जोड़

दिया जायेगा। ऐसे परिवारों को ३२ प्रतिशत अनुदान सहित ऋण दिया जायेगा।

"पाली जिले की खारची तहसील में हेमलियावास खुर्द गांव में ३६ वर्षीय भीका को अन्त्योदय-योजना के अन्तर्गत भैंस खरीदने हेतु १५०० रु० का ऋण दिया गया जिससे उसने एक भैंस खरीदी। यह भैंस प्रतिदिन ८ कि०ग्रा० दूध देती है। भीका का कहना है कि वह दूध को बेचकर अब लगभग १०० रु० महीना अतिरिक्त आय करने लग गया है। परिणाम स्वरूप अब वह अपने परिवार का पालन-पोषण करने में समर्थ हो गया है, इसके अतिरिक्त पास पड़ौस के लोग भी उसे अधिक सम्मान देने लगे हैं।' उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दुधारू पशु आर्थिक स्थिति के सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

इन दुधारू पशुओं के अतिरिक्त सरकार ने राज्य के उन १० जिलों, जहां विशेष पशुपालन-कार्यक्रम चल रहा है, अन्त्यो-दय-परिवारों को ३० भेडें और एक मेंढे की इकाई उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इन भेडों की ऊन के विपणन को राज्य सहकारी भेड व ऊन संघ से जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार से इन परिवारों की भेड़ों से प्राप्त ऊन की बिक्री की समस्या भी हल हो जायेगी। गरीब परिवारों को भेड़ें उपलब्ध कराने से ऊन का उत्पादन बढ़ेगा, फलस्वरूप ग्रामीण लघु उद्योगों को कच्चा माल भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा जो उनके विकास में सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त वह परिवार जिसे भेडें उपलब्ध होंगी, उनके माध्यम से स्वावलम्बी भी बनेगा।

"पाली जिले के नीमली ग्राम के पचास वर्षीय सोना रेबारी को अन्त्योदय-योजना के अन्तर्गत ३ हजार रुपये का ऋण

मिला । इस राशि से उसने ३० भेड़ें खरीदी है । खरीदी गई भेडों की ऊन बेचकर सोना ने ४७० रु० प्राप्त कर लिए हैं । इन भेडों को पाकर सारा परिवार बड़ा खुश है और अपनी समस्याओं से नये उत्साह के साथ जूझ रहा है ।"

राज्य सरकार ने १० बकरों की इकाई को आर्थिक दृष्टि से वाछनीय माना है । प्रायोगिक पूछताछ के अन्तर्गत इन परि-परिवारो ने बकरा इकाइयो की स्पष्ट प्राथमिकता बताई थी । इसके अतिरिक्त उन गांवों के अन्त्योदय–परिवारो को, बड़े-बड़े शहरों से घिरे हुए हैं, मुर्गीपालन के व्यवसाय के प्रति प्रोत्साहित किया जायेगा । इसके लिए उचित विपणन-व्यवस्थाए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से की जायेगी ।

भरतपुर तथा अलवर जिलों में जहां शूकर-विकास की सम्भावनाए हैं, शूकर-विकास-कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

पशु पालन को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि इन पशुओ के लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त पशुपालको को इन पशुओ से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । इन पशुओं के लिए आवश्यक चारागाह का विकास तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । पशुपालकों को आधुनिक पशुविज्ञान से परिचित करवाना भी उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा । उपरोक्त व्यवस्था करने पर ही इस व्यवसाय से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए इस क्षेत्र में कार्य करना अन्त्योदय–परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करना तो है ही इसके अतिरिक्त उन द्वारा प्राप्त कच्चा माल भी कई प्रकार

के कुटीर उद्योगों के विकास मे सहायक सिद्ध होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पशुपालन ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ आधार प्रदान करेगा।

विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराना :

इस योजना के अन्तर्गत सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत कर आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलम्बी बनाना है, अधिकतर अन्त्योदय–परिवारों की प्रथम पसन्द खेती योग्य भूमि उपलब्ध होना सम्भव नही है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव व कार्यदक्षता को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा करना उचित नहीं है। उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए अन्त्योदय–परिवारों को विभिन्न ग्रामीण लघु उद्योगो के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अन्त्योदय–परिवारों की आर्थिक स्थिति उन्हें लघु उद्योगों को आरम्भ करने में एक बडी रुकावट है। व्यावसायिक अनुभव एव दक्षता होते हुए भी वे इस योग्य नही हैं कि अपनी जीविका कमा सकें, चूंकि कच्चे माल की खरीद के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने मे वे अक्षम हैं। इसलिए ऐसे परिवारों को, जिनके पास व्यावसायिक अनुभव एव दक्षता तो है लेकिन अर्थाभाव के कारण बेसहारा हैं, आर्थिक सहायता देना आवश्यक है।

अन्त्योदय–योजना के प्रथम वर्ष में ऐसे परिवारों को विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को लगभग २१ करोड रुपये की आवश्यकता होगी। इतनी बडी राशि की व्यवस्था राज्य के बजट प्रावधानों में करना असम्भव है। सरकार ने इस कमी की पूर्ति हेतु व्यावसायिक एवं सहकारी बैंकों का सहयोग लेने का निर्णय लिया है। बैंकों ने भी सरकार

के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर इस योजना की सफलता में अपना पूरा-पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया है। बैंकों के इस सहयोग की प्रशंसा करते हुए मुख्य मंत्री श्री शेखावत ने कहा "आज बैंकों व जनता के बीच की दूरी कम होती जा रही है और बैंक गरीब की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। आज बैंकों में गांव-गांव और घर-घर जाकर गरीबों को कर्ज देने की एक होड़ सी लगी हुई है जो पहले कभी नहीं लगी थी।"

सरकार ने निर्णय लिया है कि चयनित परिवारों को व्यवसाय आरम्भ करने के लिए जो धन-राशि दी जायगी उसका ३३ प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। यह राशि लघु कृषक विकास योजना एवं सूखा संभावित क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत दी जायेगी। लघु उद्योगों को अनुदान देने संबंधी निर्णय से स्पष्ट है कि सरकार लघु उद्योगों को विकसित कर गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है। लघु उद्योगों को अनुदान देने सबंधी सरकारी नीति इस प्रकार है :—

(१) राज्य सरकार ने अन्त्योदय में चयनित उन लोगों को कृषि कार्यों के लिए अनुदान सुलभ कराने के उद्देश्य से इस वर्ष ५७ लाख का प्रावधान किया है जो लघु कृषक या सीमान्त कृषक या खेतीहर मजदूरों की परिभाषा में नहीं आते हैं।

(२) अब सभी जिलों में लघु कृषक विकास अधिकरण तथा जिला विकास अधिकरण ३३$\frac{1}{3}$ प्रतिशत अनुदान ऐसे सभी अन्त्योदय परिवारों को दे सकेंगे जिन्हें अब तक लाभान्वित नहीं किया जा सका है। अनुदान राशि अब निश्चित कृषि-कार्यों तथा सम्बद्ध साधनों जैसे बैल, बैलगाडी, ऊंट, ऊंट-गाडी, गधे, गधा-गाडी, भैंसा-गाडी,

शूकर तथा भूमि-विकास के लिए भी दी जायेगी, जो पहले सुलभ नहीं होती थी।

(३) इसी भांति गैर कृषि कार्यों के लिए भी अनुदान राशि दी जा सकेगी। बढ़ईगिरी, लुहारी, चर्म-उद्योग, तेल घाणी, मांसहारी, गुड़ खाण्डसारी, वस्त्रों की छपाई, चाय की दुकान, सिलाई, रस्सा बनाने, साइकिल मरम्मत, कुम्हार-उद्योग, निवार बनाने तथा बैण्ड यूनिट के लिए भी अनुदान मिलेगा।

(४) अनुदान की यह सुविधा उन अन्त्योदय-परिवारों को सुलभ नहीं होगी जिनके पास लघु कृषक विकास अधिकरण के अन्तर्गत लघु कृषकों के लिए निर्धारित भूमि से अधिक सीमा की भूमि होगी।

(५) छोटे किसानों, सीमान्त कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों के लिए लागू दरों के आधार पर यह अनुदान-राशि ऐसे अन्य सभी अन्त्योदय–परिवारों को भी उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए मिल सकेगी जिनको बेंकों से ऋण स्वीकृत हो जायेंगे।

अनुदान के अतिरिक्त शेष ऋण राशि पर नाम मात्र का ४ प्रतिशत ब्याज देय होगा।

अन्त्योदय–परिवारों को बेंकों के माध्यम से आसानी से और अधिक से अधिक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये हैं :—

(१) बेंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए गारन्टी देनी आवश्यक होती है। लेकिन अन्त्योदय–परिवारों के पास कोई

चल या अचल सम्पत्ति नहीं है जिसके आधार पर बैंक को ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक गारन्टी दी जा सके। इस गारन्टी के अभाव में बहुत कठिनाई का सामना करना पड रहा था। गरीब परिवारों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इन परिवारों की गारन्टी सरकार स्वय देगी। इस संबध में पंचायत-समितियो को आवश्यक निर्देश जारी कर कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत अपने गावो के अन्त्योदय–परिवारों की गारन्टी दे।

(२) ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को कुछ आवश्यक शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होता है। इनकी पूर्ति हेतु अन्त्योदय–परिवारो को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था परिणाम स्वरूप ऋण देने मे देरी होना स्वाभाविक ही था। इन परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके द्वारा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले कर्जों में देय स्टाम्प ड्यूटी, गारन्टी, रेहन रखना, आज्ञापत्र एव घोषणा-पत्रो आदि पर अधिकृत बैंको से ऋण लेने पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की है।

(३) चूकि राजस्थान में गाव एक दूसरे से काफी दूर बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त सभी ग्रामों मे अभी तक बैंक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। गावों के बीच काफी दूरी होने के कारण कुछ गांव बैंको की ऋण-परिधि में नहीं आते थे, इसलिए गावों के अन्त्यो-दय–परिवारों को ऋण उपलब्ध कराना असम्भव था। इसलिए सरकार ने बैंकों से विचार-विमर्श कर बैंको को ऋण देने की परिधि को रेगिस्तानी क्षेत्रों मे

१५ कि. मी. से बढ़ाकर ४० कि. मी तक करने को सहमत कर लिया है। परिणाम स्वरूप अब अधिक गांवो को बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(४) ब्याज की नीची दर पर ऋण देने के लिए राज्य सरकार अनुदान प्रदान करने पर भी सिद्धान्त. सहमत हो गई है।

लेकिन सहकारी बैंकों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित शर्तें इस कार्य में रुकावट उत्पन्न कर रही थी। इसलिए मुख्यमंत्री श्री भैंरोंसिह शेखावत ने रिजर्व बैंक के गर्वनर श्री आई. जी. पटेल तथा डिप्टी गर्वनर श्री रामकृष्णय्या से इस संबंध मे बातचीत की। मुख्य मंत्री का यह सुझाव था कि कुछ मामलों में रिजर्व बैंक की नीति को अधिक सरल और समुचित बनाया जाना चाहिए, ताकि अन्त्योदय परिवार अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हो सके। इस बैंठक मे निम्न निर्णय लिये गये :—

(१) रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण अधिक देने के लिए उनकी साख-सीमा में वृद्धि करेगा। परिणामस्वरूप अब अन्त्योदय–परिवारों को इन बैंकों से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(२) सहकारी बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण प्राप्त-कर्ता को भूमि की जमानत देनी आवश्यक होती है, लेकिन सभी अन्त्योदय–परिवारों के पास भूमि का होना असम्भव ही है। इसलिए यह जमानत देने वाली व्यवस्था ऋण प्राप्त करने में मुख्य बाधा थी। मुख्यमंत्री द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर के सम्मुख अन्त्योदय–परिवारों की इस कठिनाई को रखने पर यह निर्णय लिया

गया कि मध्यकालीन ऋण प्राप्ति के लिए भूमि की जमानत देने की शर्त आवश्यक नहीं रहेगी तथा अब व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(३) अन्त्योदय–परिवारों को ऋण सबंधी सुविधा को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से सहकारी बैंक की वसूली ५० प्रतिशत से कम न होने वाली शर्त को भी हटाना रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है।

(४) अन्त्योदय–परिवारों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने दिसम्बर ७८ तक के लिए ३.५० करोड़ की अतिरिक्त साख-सीमा देना भी मजूर कर लिया है।

सहकारिता विभाग :

अन्त्योदय–परिवारो को आर्थिक उन्नति के लिए ऐसे परिवारों को विभिन्न व्यवसाय एव उद्योग आरम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता देना आवश्यक है। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के अनुसार सभी परिवारो को आवश्यक धन-राशि उपलब्ध कराना असम्भव है इसलिए राज्य सरकार ने व्यावसायिक एव सहकारी बैंकों से भी इस उद्देश्य हेतु परिवारो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। चू कि सहकारी बैंकों पर सहकारिता-विभाग का नियन्त्रण होता है इसलिए इस योजना की सफलता के लिए सहकारिता-विभाग का अपना विशेष उत्तरदायित्व है। इसी उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए सहकारिता-विभाग ने अपने सभी बैंको को इस कार्य हेतु हर सम्भव सहयोग देने के निर्देश दिये हैं। निर्देशानुसार सहकारी बैंको ने भी इन परिवारो को ऋण उपलब्ध कराया है।

रिजर्व बैंक की यह शर्त थी कि जब तक ऋण प्राप्तकर्त्ता के लिए उत्पादित वस्तु के विक्रय का समुचित एवं संगठित प्रबन्ध न हो तब तक ऋण स्वीकार न किया जाये मुख्य मंत्री के प्रयासों द्वारा रिजर्व बैंक ने इन परिवारों के मामले में इस शर्त को शिथिल कर दिया है। अब जहां संगठित विपणन का प्रबंध नहीं है वहां भी ऋण मंजूर कर दिया जायेगा। बैंक ने अब यह शर्त रखी है कि ऐसे मामलों में वसूली प्रति माह या ६ माही तौर पर की जाये ताकि ऋण प्राप्तकर्त्ता को रकम लौटाने में कठिनाई न हो।

इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य मंत्री के विशेष प्रयासों एवं इस योजना की सफलता में विशेष रुचि के कारण ही यह सब सम्भव हो सका है जिसके परिणाम स्वरूप अब सहकारी बैंकों से भी अन्त्योदय–परिवारों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

व्यावसायिक एवं सहकारी बैंकों द्वारा अब तक प्रदेश के २४५७६ परिवारों को लगभग ८ करोड़ की ऋण राशि दिलाई जा चुकी है।

सहकारी समितियां :

ऐसे परिवारों को विभिन्न व्यवसाय आरम्भ करवाने हेतु साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों का सदस्य बनने को प्रेरित करना चाहिए या फिर अन्त्योदय–परिवारों की सहकारी समितियां विभिन्न उद्योगों के लिए बनवाई जा सकती हैं। इस विधि से वे रजिस्ट्रार सहकारी विभाग से अपने व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

बांसवाड़ा जिले में यह व्यवस्था अपनाई भी जा रही है।

इसकी उपयोगिता को देखते हुए अन्य जिलों में इसको अपनाया जाना चाहिए ।

सहकारिता–विभाग को ऐसे नियम बनाने चाहिए, जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियो को मिलने वाले ऋण का कुछ प्रतिशत, अन्त्योदय परिवारों के लिए सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए । ऐसे परिवारो को ऋण वसूली में कुछ सहूलियतें प्रदान की जानी चाहिए । ये अनुदान के रूप में या ऋण वसूली की किस्तों की संख्या बढ़ाकर दी जा सकती है । इस प्रकार की व्यवस्था से उस गरीब परिवार पर ऋण वसूली का कम भार पड़ेगा । जो उसे स्वावलम्बी बनाने में सहायक होगा ।

ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा कम खर्चीली करना इस योजना की सफलता के लिए आवश्यक है । ऋण प्राप्त करने के लिए अन्त्योदय परिवार को अपने संबध में कई जानकारी बैंक को देनी पडती है जिसकी तस्दीक सरपच, पटवारी, ग्राम सेवक आदि करते हैं । इस कार्य हेतु उस व्यक्ति को कुछ सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण काफी परेशानी का सामना करना पडता है । इसके पश्चात् ऋण प्राप्ति के लिए आवश्यक फार्म बैंक में देना होता है । ऋण-स्वीकृति की जानकारी के लिए भी उसे एक या दो बार बैंक भी जाना पड सकता है । इस व्यवस्था में स्पष्ट है कि उसे कई बार बैंको के चक्कर काटने पडते हैं । बार बार आने जाने के लिए खर्च की व्यवस्था करना उस परिवार के सामर्थ्य से बाहर की बात है इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें ऋण प्राप्तकर्त्ता को गाव में ही ऋण उपलब्ध हो सके ।

ऐसी व्यवस्था के लिए ऋण-शिविरों का आयोजन बहुत सफल हो सकता है । इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई भी जा

रही है लेकिन यदि इसे व्यापक स्तर पर अपनाया जाये तो अधिक अच्छा रहेगा। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऋण प्राप्त करने के फार्म में आवश्यक खाना पूर्ति जल्दी से जल्दी हो तथा वह फार्म पंचायत के द्वारा ही बेंक में प्रेषित किया जाये। ऋण स्वीकृत हो जाने पर बेंक १५–२० गावों के मध्य किसी स्थान पर ऋण-शिविर का आयोजन करे। ऋण-स्वीकृति की सूचना ग्राम पचायत के माध्यम से अन्त्योदय-परिवार को पहुचा दी जाये। अन्त्योदय–परिवार इस सूचना के आधार पर आज शिविर में पहुच कर स्वीकृत ऋणराशि प्राप्त करें। इस प्रकार की व्यवस्था करने से अन्त्योदय परिवार को आवश्यक खर्च एव परेशानी से राहत दिलाई जा सकेगी। लेकिन इस व्यवस्था में ग्राम-पंचायत का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है तथा ऋण का जल्दी उपलब्ध कराना भी सरपच के सहयोग और रुचि पर ही निर्भर करेगा।

ग्रामीण लघु उद्योग :

अन्त्योदय–परिवारों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने का मुख्य साधन ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास है। इसके साथ-साथ भारतीय सामाजिक एव आर्थिक स्थिति भी ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास को आवश्यक समझती है। लेकिन पिछले तीस वर्षों की औद्योगिक नीति ने ग्रामीण लघु उद्योगों की कीमत पर बडे उद्योगों के विकास को महत्त्व प्रदान किया है। फलस्वरूप अनेक नागरिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याए उत्पन्न हो गई हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण उत्पादन की मात्रा अवश्य बढी है लेकिन बेरोजगारी भी उसी अनुपात में है। बेरोजगारी के अतिरिक्त कुछ चन्द औद्योगिक घरानों के हाथों में पूंजी का केन्द्रीयकरण हुआ है। रोजगार की प्राप्ति के

लिए ग्रामीण जनता का शहरो की ओर पलायन बढ़ा है । इस पलायन ने न केवल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को ही नष्ट किया बल्कि शहरों में भी आवास तथा गन्दी बस्ती सबधी अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि बड़े उद्योगो को प्राथमिकता प्रदान कर गांवों में चलने वाले ग्रामीण लघु उद्योगो एवं दस्तकारियों को बिना सोचे समझे मनमाने तरीके से और बेरहमी के साथ विनाश किया गया है। फलस्वरूप ये सब निस्तेज और निस्प्राण बन गये हैं।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास एवं उपलब्ध मानव-शक्ति का सही उपयोग केवल लघु उद्योगों द्वारा ही सम्भव हो सकता है। ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें उनकी आवश्यकताए स्वय पूरी करने में सक्षम बनायेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त गांवों से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगेगी तथा शहरों में उत्पन्न नागरिक समस्याओ का समाधान भी सम्भव हो सकेगा। ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास व पूंजी का विकेन्द्रीकरण समाजवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इन उद्योगो को ध्यान में रखते हुए जनता पार्टी के चुनाव-घोषणा-पत्र को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ग्रामीण लघु उद्योगो के माध्यम से अन्त्योदय परिवारों को स्वावलम्बी बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे परिवारो को छोटी हाथ करघा इकाइया स्थापित करवा कर चरखे और करघे वितरित किये जायेंगे। बैल चलित घाणियां, चमड़े की वस्तुओ, मिट्टी, के बर्तनों, लकड़ी का कार्य तथा अन्य उद्योग जो गांव विशेष

की परिस्थितियो के अनुरूप हो को हर सम्भव सहायता देकर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जायेगा ।

लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विस्तार से नीति-निर्धारण करना आवश्यक है । इस सबध मे बनाई जाने वाली नीति में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करना उचित रहेगा :-

(१) ग्रामीण दस्तकारों को राज्य सरकार की तरफ से कुटीर उद्योग आरम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिसका कम से कम ५० प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में होना चाहिए । चूं कि ग्रामीण दस्तकारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सबंधित उद्योग के लिए कच्चे माल एव आवश्यक औजार बाजार से खरीद सकें, इसलिए सरकारी आर्थिक सहायता एव अनुदान उन्हें लघु उद्योगों को आरम्भ करने में प्रोत्साहित करेगा ।

(२) उत्पादन को बढाने के लिए दस्तकारों को अच्छे औजार या तो राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने चाहिए या फिर सहकारी पद्धति से राज्य सरकार की सहायता से दिये जाने चाहिए ताकि उनका उपयोग कर दस्तकार कम समय में अधिक तथा बढ़िया किस्म का माल तैयार कर सकें । इस प्रकार से तैयार किया गया माल सस्ता और अच्छा होने के कारण बाजार में बड़े उद्योगो द्वारा निर्मित माल के मुकाबले मे टिक सकेगा अन्यथा मांग के अभाव में इन लघु उद्योगों को स्वय अपनी मौत मर जाने को बाध्य होना पडेगा ।

(३) राज्य के खर्चे पर विभिन्न व्यवसायों से सबधित दस्तकारों एवं कारीगरो को उनके व्यवसाय के संबंध में

प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे उत्पादन क्षेत्र में सुधरी हुई प्रक्रिया अपना सकें।

(४) कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल के लिए बाजारों का उपलब्ध होना आवश्यक है। यदि इन उद्योगों का उत्पादित माल बाजार में अपना स्थान नहीं बना पाये तो दस्तकारों एवं कारीगरों को स्वावलम्बी बनाने का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा। इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इन उद्योगों को बाजार संबंधी सुविधाएं उस समय तक उपलब्ध कराई जायें जब तक कि दस्तकार एवं कारीगर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है। इस कार्य हेतु सरकार को सहकारी समितियों या अन्य सरकारी संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए जो गांवों से लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को खरीद कर बेचने की व्यवस्था करें। बाजार में माल की खपत को बढ़ाने के लिए उसकी अच्छी किस्म तथा कम दाम होना भी आवश्यक है। इसलिए सरकार को चाहिए कि लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल पर कारीगरों को कुछ अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करे ताकि उनका माल मूल्य की दृष्टि से बड़े उद्योगों में उत्पादित माल से स्पर्द्धा कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्पादित माल पर अनुदान देने संबंधी रियायत से सरकार को आर्थिक नुकसान अवश्य हो सकता है लेकिन फिर भी एक बड़े वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित ही रहेगा। इसके साथ-साथ यह व्यवस्था उस समय तक ही अपनाई जा सकती है जब तक कि लघु उद्योग स्वावलम्बी न बन जायें। उसके पश्चात् इस रियायत को समाप्त किया जा सकता है।

लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री के लिए यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि सहकारी समितियों के माध्यम से यह माल सरकारी विभागों को बेचा जाये। यह व्यवस्था न केवल लघु उद्योगों के लिए लाभकारी होगी बल्कि सरकार के हित में भी सिद्ध होगी।

(५) जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के ग्रामीण लघु उद्योग या कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा रही है उस क्षेत्र में उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बड़े उद्योगों से उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। यह संरक्षण उत्पादन की विभिन्न वस्तुओं को सुरक्षित करके या उत्पादन के क्षेत्र को सुरक्षित करके दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र मे लघु उद्योगों या कुटीर उद्योगों द्वारा कोई विशेष प्रकार का उत्पादन किया जा रहा है, उस क्षेत्र में उसी वस्तु के उत्पादन किया जा रहा है, उस क्षेत्र में उसी वस्तु के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। अन्यथा लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों के सम्मुख प्रतिस्पर्द्धा में नहीं ठहर सकेंगे तथा बहुत जल्दी ही ये छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के ग्रास बन जायेंगे।

इसके अतिरिक्त बड़े उद्योगपति कभी भी यह देखना पसन्द नही करेंगे कि उत्पादन के क्षेत्र में कोई उनका प्रतिद्वन्द्वी हो। चूंकि लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पूंजी के विकेन्द्रीकरण में सहायक हैं जो बड़े पूंजीपतियों के हितों के विरुद्ध है। इस-लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को नष्ट करके अपना वर्चस्व स्था-पित करना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसलिए सरकार को

बड़े उद्योगपतियों से सावधान रहकर लघु एव कुटीर उद्योगों को उनके आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करनी होगी ।

(६) दस्तकारी की चीजों का उत्पादन भी उन वस्तुओं तक सीमित कर दिया जाना चाहिए जिनमें दस्तकार अपनी व्यक्तिगत विशेषता का प्रदर्शन कर सकें ।

(७) कारीगरों एव दस्तकारो का ऐसा सामूहिक संगठन बनाया जाना चाहिए जिसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के सामूहिक उत्पादन में छोटे यन्त्रों से लाभ उठाया जा सके ।

(८) लघु उद्योग-विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कारीगरों एवं दस्तकारों को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधी नई जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जा सके जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

(९) लघु एवं कुटीर उद्योगों को सफल बनाने हेतु ग्रामीण कार्य योजना पंचायत समिति क्षेत्र के लिए तथा अर्द्ध रोजगार वाले मजदूरों को काम देने की योजना का कार्यक्रम बनाकर उसे लागू किया जाना चाहिए ।

(१०) कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित माल पर किसी भी प्रकार का कर न लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यह माल बड़े उद्योगों द्वारा तैयार माल से मूल्य के क्षेत्र में महंगा न हों । यदि लघु उद्योगों का माल उचित कीमत पर उपलब्ध होता है तो उसे बाजार संबंधी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

स्थाई एवं अस्थाई रोजगार सुलभ करवाना :

अन्त्योदय-परिवारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें स्थाई या अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया

जाये । चूंकि यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सभी अन्त्योदय-परिवारों को कृषि एवं लघु कुटीर उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है । इसलिए सरकार ने इन परिवारों को सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ।

इस निर्णय के अनुसार अन्त्योदय–परिवारों को परिचय पत्र जारी किये गये हैं जिन्हें प्रस्तुत करने पर वे किसी भी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्था में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे । लेकिन रोजगार प्राप्त करने के लिए उनकी योग्यता एवं कार्य-दक्षता ही मुख्य आधार होगी । परिचय पत्र तो केवल मात्र उन्हें नियोजन कार्यालय में नाम दर्ज करवाने की व्यवस्था से छूट प्रदान करवा सकेगा । इससे यह तात्पर्य नहीं है कि अन्त्योदय–परिवारों के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है जैसा कि अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लिए की गई है ।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान नहर, कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा निर्माणाधीन कार्यों तथा अन्य राहत कार्यों पर इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिलाया जा सकेगा । लेकिन यह अस्थाई रोजगार ही होगा । जब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेंगे तो अन्त्योदय–परिवार फिर बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित होकर पूर्व वाली स्थिति में ही आ जायेगा । हां, कुछ समय विशेष के लिए राहत पहुंचाने के लिए तो यह व्यवस्था ठीक ही है लेकिन बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान इस व्यवस्था से नहीं हो सकता । इसलिए सरकार को चाहिए कि इस समस्या को हल करने के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाये ।

अब तक सरकार ५५२१ परिवारों को स्थाई तथा अस्थाई रोज-गार उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर सकी है ।

खानों का ठेका :

रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छोटी पत्थर की खानों के पट्टे अन्त्योदय–परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दिये जायेंगे, जिससे ये परिवार बजरी, मुरखी साधारण व रंगीन मिट्टी, मौरम तथा धाबला का खनन कर सकेंगे । खानों के पट्टे प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन राशि भी सरकार द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्यथा यह निर्णय केवल मात्र निर्णय बन कर ही रह जायेगा ।

घास एवं बागवानी के लिए पट्टे :

पहाडी जिलो, विशेष कर उदयपुर, डूंगरपुर आदि के आदिवासी बहुल क्षेत्र में बस्तियो के आस-पास खेतो से लगे तथा व्यर्थ पडे हुए पहाड़ी ढलानो को केवल घास एव बागवानी के उद्देश्य से इन परिवारो को आवंटित किया जायेगा । इन भू-खण्डों के विकास के लिए घास, बीज, पौध इत्यादि का व्यय राज्य सरकार अनुदान देकर वहन करेगी । इस तरह से इस क्षेत्र विशेष के कुछ परिवारो को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा ।

वृद्ध, असहाय एवं अपंगो को पेंशन :

जिन परिवारों में १५ से ५६ वर्ष तक की आयु सीमा में एक भी व्यक्ति कमाने योग्य नही है अर्थात् वृद्ध अवस्था, शारी-रिक अयोग्यता या अन्य कारणों से वे किसी भी प्रकार का रोजगार नही कर सकते ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के

रूप में सरकार ने मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है ताकि वे अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

पेंशन देने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें पेंशन पाने वाले को घर बैठे ही पेंशन प्राप्त हो सके अन्यथा पेंशन प्राप्त करने हेतु आने जाने में उसे काफी खर्च वहन करना पड़ेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पेंशन का भुगतान सरपंच की उपस्थिति में पटवारी या ग्राम सेवक या अध्यापक के मार्फत किया जा सकता है। इस व्यवस्था से पेंशन न केवल उचित व्यक्ति को ही प्राप्त होगी बल्कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अतिरिक्त खर्च वहन करने से भी बच सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार अब तक २३ हजार से अधिक लोगों को ४० रु० मासिक पेंशन देने मे सफल हो पाई है। इस क्षेत्र में सरकार ने जून, ७८ तक २३१५१ परिवारों को पेंशन उपलब्ध करा कर उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान किया है।

शिक्षा :

ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए आर्थिक सहायता या रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनका सामाजिक एवं नैतिक उत्थान भी आवश्यक है। इसके अभाव में अन्त्योदय–परिवार में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, तेजस्विता तथा नैतिक गुण उत्पन्न नही हो सकते जो उन्हें आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने या रोजगारों का बहुमुखी विकास करने में लाभदायक होते हैं। अन्त्योदय–परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन परिवारों के बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की की जायेगी। चूंकि ये परिवार आर्थिक रूप से इतने कमजोर

हैं कि वे अपने बालकों को शिक्षित नहीं करवा सकते तथा शिक्षा के अभाव में उनका सामाजिक एवं नैतिक उत्थान नहीं हो पाता। इसलिए इन बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षा-विभाग, स्वैच्छिक संगठन, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों का सहयोग लिया जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बालको को पुस्तकें, कपड़े, फीस, खाने-पीने तथा रहने की व्यवस्था सरकार को नि शुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। यह सहूलियत कम से कम हाई स्कूल तक तो दी ही जानी चाहिए। यदि कोई बालक बहुत अधिक योग्य है तथा हाई स्कूल के पश्चात् भी अध्ययन जारी रखना चाहता है तो ऐसे बालक को छात्र-वृत्ति देकर सहायता की जा सकती है।

मकान :

मुख्य मन्त्री श्री शेखावत ने अन्त्योदयी परिवारों के लिए मकान निर्माण की एक महत्वकांक्षी योजना बनाने का आदेश प्रदान किया है। उन्होने बताया कि इन मकानों के निर्माण के लिए जनता का योगदान भी प्राप्त किया जायेगा। इसके अति-रिक्त जीवन बीमा निगम, हुडको व केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग भी किया जावेगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए अनाज योजना के अन्तर्गत भी गृह निर्माण के कार्य में मदद ली जायेगी।

स्वास्थ्य सेवा :

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्त्योदयी परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष ध्यान रक्खा जाना चाहिए। ऐसे परिवारो को चिकित्सा के मामले में प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए तथा सब प्रकार की दवाई उन्हें मुफ्त उपलब्ध

कराई जानी चाहिए । चूंकि स्वस्थ रहकर ही वे अपनी जीविका स्वयं कमा कर स्वावलम्बी बन सकेंगे ।

अन्य संस्थाओं का सहयोग :

किसी भी योजना की सफलता उसके निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है । योजना का उद्देश्य अच्छा हो सकता है लेकिन यदि उसका क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हुआ तो वह योजना केवल मात्र एक नारा बन कर ही रह जाती है । योजना के उचित रूप से क्रियान्वयन से ही वांछित फल की प्राप्ति होती है । इसलिए योजना के क्रियान्वयन एवं सफलता के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है । वर्तमान राजनैनिक एवं प्रशासनिक ढांचे में योजना के क्रियान्वयन का मुख्य भार प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर ही है । लेकिन वे उस समय तक वांछित परिणाम प्राप्त नही कर सकते तब तक उस समाज का जिसके लिए वह योजना तैयार की गई, पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है । इसके अतिरिक्त समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति एवं संस्थाऐं भी हैं जो समाज की सेवा या समाज के हित के लिए कार्य करते हैं । ये व्यक्ति या संस्थाएं वेतन प्राप्ति अर्थात् आर्थिक लाभ के उद्देश्य को सम्मुख रखकर कार्य नही करते हैं जैसा कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संदर्भ मे कहा जा सकता है । मैं यह कहना भी उचित नहीं समझता कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी पूरी कार्यक्षमता एवं योग्यता से कार्य नही करते हैं । लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है कि सरकारी अधिकारियो एवं कर्मचारियों की नियुक्ति जिस कार्य विशेष के लिए होती है वही कार्य उसके लिए मुख्य कार्य होना है यदि उसके निर्धारित कार्य के अतिरिक्त अन्य योजना के कार्यभार में उतनी दिलचस्पी

नही लेता है जितनी की उसकी सफलता के लिए आवश्यक होती है। इसलिए किसी भी जनसाधारण संबंधी योजना का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से सरकारी अधिकारियों एव कर्मचारियो के भरोसे छोडने का अर्थ है उसकी सफलता में संदिग्धता उत्पन्न करना।

वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में कागजी कार्यवाही को व्यवहारिक कार्य की अपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त है। इसलिए ही प्रत्येक कार्य के लिए अनेको औपचारिकताए पूरी करनी पड़ती है चाहे वह कार्य कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। कुछ कर्मचारी इस प्रवृत्ति के भी होते हैं कि वे अपने महत्व को जताने के लिए किसी भी कार्य को सम्पन्न करने में कुछ अड़चने उत्पन्न करना या अनावश्यक देरी करना आवश्यक समझते हैं। लेकिन यह सब कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए जनसाधारण उपयोगी योजना की सफलता के लिए जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करना अधिक लाभप्रद रहेगा। इन सब परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस योजना को लागू करने मे सरकारी एव गैर सरकारी सस्थाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे एक दूसरे को न केवल रचनात्मक सहयोग ही प्रदान करें बल्कि योजना को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयो को दूर करें तथा अनियमितताओं को होने से रोका जाना चाहिए कि कही योजना के क्रियान्वयन में सरकारी एव गैर सरकारी संस्थाऐं एक दूसरे की टाग खिचने मे न लग जावे तथा योजना खटाई मे न पड जावे। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी कर्मचारी तथा अन्य गैर सरकारी सस्थाऐ योजना के क्रियान्वयन मे कन्धे से कन्धा मिलाकर मिशनरी भावना से कार्य करें तब ही योजना को सफलतापूर्वक लागू कर घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

ग्राम पंचायत और अन्त्योदय :

चू कि यह योजना पूर्णरूप से गरीब ग्रामीण परिवारों के आर्थिक उत्थान से ही सबंधित है इसलिए ग्रामीण समाज के सहयोग के बिना इस की सफलता की आशा करना व्यर्थ है। ग्राम में ग्राम पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो गाव के समस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करती है इसलिये सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन का समाजीकरण करने के उद्देश्य से ग्राम पचायतों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया है। अन्त्योदय परिवार के चयन की प्रक्रिया से लेकर गरीब परिवार को स्वावलम्बी बनाने तक ग्राम सभाओं की सहायता प्राप्त की गई है। ग्राम सभा जिसमें सभी ग्रामीण भाग लेते हैं स्वय अपने गाव के सबसे अधिक गरीब परिवारों का उनकी आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुवे न केवल चयन ही करती है बल्कि उसके आर्थिक उत्थान के लिए उसकी पसन्द के अनुरूप अपनाये जाने वाले साधनों का सुझाव भी देती है।

चू कि चयनित परिवारो की आर्थिक स्थिति एव व्यवसाय सबधी दक्षता की जानकारी ग्रामसभा या ग्राम पंचायत द्वारा अधिक अच्छी तरह से प्राप्त की जा सकती है उसी के अनुसार ही उन परिवारो को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान करने संबधी योजना का प्रारूप ग्रामसभा द्वारा ही अधिक अच्छे ढंग से तैयार किया जा सकता है। ऐसे परिवारों को दी गई आर्थिक एवं अन्य सहायता का सद्उपयोग हो रहा है या नहीं इस पर भी ग्राम सभाओं द्वारा निगरानी रखी जा सकती है। चूंकि ग्राम-सभा का उस परिवार से निकट का संबंध निरन्तर बना रहता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस योजना की सफलता के लिए ग्राम पंचायतों का सहयोग नितान्त आवश्यक है।

चयनित परिवारों को बैंको से ऋण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए गारन्टी देनी होती है। गारन्टी के अभाव में ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता। चूंकि अन्त्योदय परिवारों के पास गारन्टी के लिए किसी भी प्रकार की अचल या चल सम्पति का अभाव होता है। इसलिए उन्हें ऋण नहीं दिया जा सकता। ऐसे परिवारों की गारन्टी देने का कार्य पचायत द्वारा ही किया जा सकता है। चूंकि उस परिवार और ग्राम पचायत का निरन्तर सम्पर्क बना रहता है इसलिए ऐसे परिवार की पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा रखी जा सकती है। ऋण का भुगतान तथा वसूली को ध्यान में रखते हुवे यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम पचायतों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जावे। ग्राम पचायतों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने से योजना की सफलता निश्चित हो जाती है इसके अतिरिक्त जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार यह व्यवस्था राजनैतिक विकेन्द्रीकरण को भी बढ़ावा देगी जो भारतीय प्रजातन्त्र की जडों को मजबूती प्रदान करेगी।

मुख्य मंत्री ने इस योजना की सफलता के लिए पचायतों को अपना पूर्ण सहयोग एव समर्थन देने का आह्वान किया। इसके साथ-साथ उन्होंने पंचायतों को यह चेतावनी भी दी कि यदि किसी पचायत ने अन्त्योदय परिवार से अपेक्षित व्यवहार नहीं किया तो ऐसी पचायतों के खिलाफ सरकार को कानूनी कार्यवाही करने को बाध्य होना पडेगा। इससे स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री इस कार्य में पचायतों के योगदान को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं तथा इस योजना की सफलता के लिए वे कितने लालायित हैं।

मुख्य मंत्री ने पंचायतों को यह सुझाव भी दिया कि प्रत्येक

पंचायत ग्राम विकास एव अन्त्योदय परिवारों के उत्थान के लिए सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि में अपनी निजी आय से १० हजार रुपये और जोड़कर ग्रामीण विकास के लिए कार्य करें।

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने मे पंचायत निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकती है। .

पचायतो को चाहिए कि कार्य योजना के द्वारा सुरक्षित रोजगार योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यों मे बेकार मानव शक्ति का उपयोग कर पूरे रोजगार की व्यवस्था करें। इस कार्य के लिए अच्छा हो यदि प्रत्येक पंचायत एक रजिस्टर रखें। इस रजिस्टर म अपने ग्राम के बेरोजगार व्यक्ति का नाम, उसकी व्यवसायिक दक्षता इत्यादि का वर्णन हो। ग्राम पचायतों को चाहिए कि इन परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी रखें। यदि क्षेत्र विशेष (ग्राम) में रोज गार उपलब्ध होने की सम्भावना न हो तो पंचायत समिति के अध्यक्ष से सम्पर्क कर चयनित परिवार को गाव से बाहर रोज-गार उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

पंचायतों को चाहिए कि वे ग्राम समुदाय के लिए आव-श्यक न्यूनतम सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करायें तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्य करें।

ग्राम पचायत का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ही सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग ने अन्त्योदय योजना के सफलता के लिए सरपच के कर्तव्यों की व्याख्या एक परिपत्र जारी करके की है। जो निम्न प्रकार से है।

१ ग्राम सभा का पहला दायित्व है कि निर्धनतम परिवारों का चयन आर्थिक आधार पर निष्पक्ष एव इमानदारी से किया जावे।

२. ऋण राशि का सही उपयोग के लिए सरपंच यह ध्यान रखे कि अन्त्योदय परिवार को मिला ऋण या अनुदान की राशि का उपयोग उसी काम के लिए हो जिसके लिए वह उसे दी गई है। यदि उक्त परिवार ऐसा न करे या अन्य व्यक्ति उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहे तो इसकी सूचना सरपच अविलम्ब जिलाधीश एव विकास अधिकारी को देवें ताकि इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अविलम्ब कदम उठाये जा सकें।

३. सरपंचों का यह भी दायित्व होगा कि वे अन्त्योदय परिवार को उसी गांव में १५० वर्ग गज आवासीय भूमि आवंटित करें जिस गांव में वह परिवार रह रहा है। यदि उस गांव में भूमि सुलभ न हो विकास अधिकारी को सूचित कर निकटवर्ती राजस्व भूमि इस प्रयोजन से परिवर्तित करावें।

४. अन्त्योदय परिवारों को उक्त आवंटित भूमि पर जन सहयोग से मकान बनाने में भी सरपच को मदद करनी होगी। सरपंचों का यह दायित्व होगा कि वे ऐसे गरीब परिवारों की भूमि पर आवंटन के बाद ६ महीनों की अवधि में जन सहयोग से मकान बनवा दें। यह मकान गाव के अन्य साधारण लोगों के परिवारों का जैसा ही होगा।

५. ग्राम पचायत की उपलब्ध भूमि में से सबसे अच्छी कृषि भूमि अन्त्योदय परिवारों को आवंटित कराने तथा आवंटन के बाद भूमि सुधार एवं विकास कार्य करवा कर उसे काश्त करने के लिए हर सम्भव सहयोग भी देना होगा।

६ सरपंचो का यह दायित्व भी निर्धारित किया गया है कि वे चयनित परिवारों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अपने स्तर पर प्रयास करें। संबंधित यदि समस्याएँ ऐसी है जिनका हल वह अपने स्तर पर करने में अक्षम हैं तो सबधित अधिकारियों का ध्यान उस समस्या की ओर आकृष्ट करें और यदि अधिकारी उपेक्षा करते हैं तो राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करें।

७. अन्त्योदय परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकों की व्यवस्था कराना और यदि अपेक्षित हो तो पंचायत कोष से इसका प्रावधान करना भी सरपंच का ही कर्तव्य ठहराया गया है।

परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अन्त्योदय परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की जिम्मेदारी वस्तुतः सरपंचों की है। अन्त्योदय योजना से संबधित उक्त दायित्वो का निर्वाह न करने पर राजस्थान पचायत अधिनियम १९४३ की धारा १७(४) के तहत सरपचों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा निम्न प्रकार से भी ऐसे परिवारों की सहायता की जा सकती है।

लघु उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना :

पंचायतों को चाहिए कि अन्त्योदय परिवारों को विभिन्न ग्रामीण एव लघु उद्योगो की स्थापना के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करें।

ठेके प्रदान करना :

ग्राम पचायतो द्वारा उठाये जाने वाले ठेके भी प्राथमिकता

के आधार पर अन्त्योदय परिवारों को ही दिये जाने चाहिए ताकि वे उसके माध्यम से स्वावलम्बी बन सकें।

सद्व्यवहार :

ग्रामीण समाज में ऐसे परिवारों को घृणा एवं तिरस्कार की निगाह से न देखकर उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए चूंकि इस सद्व्यवहार का उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा जो प्रगति के लिए आवश्यक है।

सिंचाई की सुविधा :

पंचायतों को चाहिए कि वे अन्त्योदय परिवारों को आवंटित की गई भूमि में कुओं का निर्माण करायें तथा उन कुओं पर खर्च की गई राशि को अन्त्योदय परिवार से आसान किस्तों में वसूल करें। इस सुविधा से अन्त्योदय परिवार अपनी भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर स्वावलम्बी बन सकेंगे।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग और अन्त्योदय :

अन्त्योदय परिवारों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने में इस संस्था का विशेष योगदान हो सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने इस संस्था को इस संबंध में एक योजना तैयार करने को कहा है। इस संस्था ने अपने उत्तरदायित्व को समझ कर यह निर्णय लिया कि आगामी वर्ष में २०००० परिवारों को ग्रामोद्योग द्वारा तथा १५०० बुनकरों को रोजगार दिये जाने की योजना सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जावे जिसमें बोर्ड एवं आयोग की संस्थाएँ तथा समितियों का सम्मिलित सहयोग रहे।

वर्ष ७८–७९ में २० हजार परिवारों को व्यक्तिगत ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा धन राशि दिलाई जाकर रोजगार की व्यवस्था की जावे। ऐसे चयनित परिवार वर्तमान अनुभव के आधार पर एक पंचायत समिति के अनुमानत १०० ग्रामों में निम्न प्रकार के उद्योगों के कामगार होंगे। इसको आधार मानते हुये निम्नांकित उद्योगों में उनके सामने अंकित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाया गया है।

क्रम संख्या	नाम उद्योग	परिवार
१.	चर्म–रंगाई ४०, जूता २५	६५
२.	कुम्हारी उद्योग	१५
३.	लुहारी एवं सुथारी	६
४.	चूना उद्योग	५
५.	केशा उद्योग	२
६.	बांस, बैंत उद्योग	१
७.	दोना पत्तल उद्योग	१
८.	अनाज दाल प्रशोधन	१
९.	ग्रामीण तेल घाणी व साबुन उद्योग	१
	योग	१००

इसी प्रकार जहां वर्तमान में खादी संस्थाएें हैं या कार्य बढ़ाये जाने की गुंजाइश है एव ऐसे चयनित परिवारों की महिलाऐं जो चर्खा कातने की इच्छुक हो एव बुनकर परिवार जो खादी का कार्य करना चाहते हैं, उनको कार्य देकर रोजी

दी जाये, इस प्रकार खादी द्वारा १५०० बुनकरों को रोजगार दिया जाय ।

इस प्रकार यदि एक पचायत समिति में १०० ग्रामोद्योग कामगार परिवार हो तो राज्य के ३२७५६ आवासीय गांवों में से इतने ही परिवारों में ग्रामोद्योगों द्वारा रोजगार दिया जाना होगा । लेकिन ३००० गांव उजड़े हुये तथा लगभग ४ हजार गाव ऐसे होंगे जहां उक्त परिभाषित एवं ग्रामोद्योगी परिवार नहीं होंगे । फलत: २५००० गांव ही ऐसे रहते हैं जहां खादी ग्रामोद्योगों का कार्य सम्भव होगा ।

इस योजना को लागू करने के लिए निम्न प्रशासनिक व्यवस्था की गई है ।

१ मुख्यालय पर एक अन्त्योदय प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी ।

२. जिला संगठन :

आगामी वर्ष २६ जिलो में से १५ जिलो मे अन्त्योदय के कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का वितरण एव उनकी क्रियान्विति सुनियोजित करने की दृष्टि से एक सगठन ग्रामोद्योग (अन्त्योदय) व एक पर्यवेक्षक रखने की योजना है जिसका व्यय तकनिकी स्टाफ की दृष्टि से प्रथम वर्ष खादी आयोग द्वारा वहन किया जावेगा तथा इसके पश्चात् राज्य सरकार वहन करेगी ।

३ जहां खादी सघ या बोर्ड कार्यरत नही है वहा एक पर्यवेक्षक स्तर का कार्यकर्ता रखने का प्रस्ताव है । यह पर्यवेक्षक पचायत समिति कार्यालय के साथ रहेगा जो धन राशि दिलाने के अतिरिक्त चयनित परिवारों को तकनिकी मार्ग-दर्शन, पर्यवेक्षण देगा तथा योजना के मूल्याकन का कार्य भी सम्पन्न

करेगा। वर्ष ७८-७९ में १०० पंचायत समिति में यह व्यवस्था की जानी है इसका व्यय खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जावेगा।

४. १३६ पंचायत समितियों के बारे में यह विचार है कि ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के सचिव जो कि पढ़े लिखे हैं एवं ग्रामवासियों से सम्पर्क साधे हुये हैं उनकी सेवा का इन परिवारों को सहयोग एवं मार्ग दर्शन देने में उपयोग किया जावेगा। १३६ पंचायत समितियों के २००० गावों में यह व्यवस्था होने की संभावना है।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करना उचित समझता है।

१. वर्तमान पैटर्न में जिन उद्योगों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में कोई सहायता नहीं है उन उद्योगों में २५ से ३३ प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि निर्धनतम परिवारों का ऋण भार कम हो सके।

२. चयनित परिवारों को जमानतदार नहीं मिल पा रहे हैं, इस दृष्टि से ग्रामसभा अथवा ग्रामपंचायत द्वारा गारन्टी दी जावे और उसे आयोग द्वारा स्वीकार की जावे।

३. ग्रामोद्योग के अन्तर्गत चयनित परिवारों को दी जाने वाली ऋण राशि में से आंशिक धन राशि वसूल नहीं हो सकेगी। बोर्ड ने इस दिशा में विचार कर यह निर्णय किया है कि वितरित की जाने वाली धनराशि का १० या १५ प्रतिशत ऐसी राशि होगी जिसके लिए रिस्क फंड रखा जावे। ऋण राशि का रिस्क फंड का ५० प्रतिशत राज्य सरकार व ५० प्रतिशत आयोग वहन करें।

चालू वित्तीय वर्ष में ५०० परिवारों को ग्रामोद्योग द्वारा आर्थिक सहायता दिलवाकर लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

खादी उद्योग की भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में खादी के विकास हेतु ४० लाख रुपये का प्रावधान रखा है।

यदि खादी उद्योग द्वारा प्रस्तावित योजना स्वीकार की जाती है तो इस योजना पर लगभग १०३८.३८ लाख रु० का खर्चा आयेगा जिसमें से खादी ग्रामोद्योग आयोग से खादी में २४० लाख रु०, ग्रामोद्योगों मे ६७३.१७ लाख रु० तथा रिस्क फंड में ५७ लाख रु० की धनराशि की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार से ६८.२१ लाख रु० की सहायता प्रशासनिक एवं रिस्क फंड व साधन सामग्री पर सहायता के रूप में अपेक्षित है।

जिन परिवारों को चरखे या करघे दिये जाते हैं उनके द्वारा तैयार माल की खरीद का पूर्ण उत्तरदायित्व इस संस्था पर होना चाहिए ताकि बाजार के अभाव में इन परिवारों को आर्थिक हानि न उठानी पड़े। यह व्यवस्था करने से पहले यह प्रश्न भी विचारणीय है कि कहीं इन संस्थाओं द्वारा ही इन परिवारों का शोषण आरम्भ न हो जावे। इसलिए सरकार को इस संबंध में पूर्णरूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी। जिसमें इन परिवारों को अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। यदि खादी ग्रामोद्योग संस्था इमानदारी व लग्न से इस योजना पर कार्य करती है तथा कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न न हो तो वास्तव में अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगी। यह सफलता अन्त्योदय परिवारों को स्वावलम्बी बनाकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान कर पूंजी के विकेन्द्रीकरण में

सहायक होगी। गाव जो आज तक शहरो पर निर्भर है वे आत्म-निर्भर बन सकेंगे तथा शहरों में उत्पन्न अनेकों सामाजिक एव नागरिक समस्याओ का उचित हल सम्भव हो सकेगा। पू जी का विकेन्द्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था एव सामाजिक व्यवस्था को समाजवाद एव समानता के पथ पर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगा।

सामाजिक सस्थाएं :

कुछ ऐसी सामाजिक सस्थाए हैं जो समाज के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओ का कार्य क्षेत्र पिछड़ी जातियो का उत्थान, शिक्षा का प्रसार तथा समाज का नैतिक निर्माण इत्यादि है। इन सस्थाओं के कार्यकर्ता वेतन भोगी न होकर मिशनरी भाव से काम करने वाले होते हैं। स्पष्ट है कि वे किसी भी कार्य से पूर्ण लग्न से कार्य करते है। इसलिए यदि इन सस्थाओं का सक्रिय सहयोग योजना को लागू करने में लाभप्रद हो सकता है।

जिला एवं तहसील स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई कमेटी मे इन कार्यकर्ताओ का मनोनयन कर निम्न प्रकार से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

१. इन सस्थाओ के कार्यकर्ताओ के माध्यम से अन्त्योदय परिवारों से सम्पर्क साध कर उनकी वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा सकता है।

२. पिछडे वर्ग मे व्याप्त सामाजिक बुराइया तथा नशीली वस्तुओ का सेवन इत्यादि भी आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। इन बुराइयों के दुर हुये बगैर किसी भी परिवार का आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उत्थान होना सम्भव नहीं

है । इन बुराइयों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से दूर करने में सहायता प्राप्त हो सकती है । अन्त्योदय परिवार को दी गई आर्थिक सहायता उस परिस्थिति में ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है जबकि वह परिवार इस आर्थिक सहायता को इन बुरे व्यसनों में खर्च न करे ।

३. सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अन्त्योदय परिवारों को सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का सही उपयोग करने की शिक्षा दी जा सकती है । आर्थिक सहायता के दुरुपयोग के सबंध मे इन कार्यकर्ताओ के माध्यम से पूरी जानकारी रखी जा सकती है ।

४. अन्त्योदय परिवारों को ऋण इत्यादि उपलब्ध कराते समय उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों मे भी इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

५. सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से गरीब परिवारों में आत्मसम्मान उत्पन्न करने मे सहायता प्राप्त हो सकती है जो उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है ।

६. सामाजिक संस्थाओं द्वारा अन्त्योदय परिवारों के बच्चो को शिक्षित करने मे सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

७. यदि कोई संस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ है तो वह अन्त्योदय परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकती है ।

सम्पन्न वर्ग का योगदान :

आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति और अन्त्योदय कमजोर वर्गों का उत्थान सरकार या कमजोर वर्गों के निजी प्रयत्नो से ही सम्भव नहीं हो सकता । इस कार्य के लिए समाज के प्रत्येक

वर्ग को अपने समर्थ्यानुसार सहयोग देना होगा। यह सहयोग किसी भी रूप में हो सकता है। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए समाज के अधिक सम्पन्न वर्ग को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति के कारण इस दिशा मे विशेष उत्तरदायित्व है। समाज के सामुहिक हित के लिए सामुहिक प्रयास यही आज के वैज्ञानिक युग का साधन है। इसी मे आत्मज्ञान और विज्ञान का सगम और समन्वय है।

समाज के सबल लोगों के उत्तरदायित्व एवं साधनों को ध्यान मे रखते मुख्यमत्री श्री शेखावत ने भी समाज के समृद्ध लोगों से अपील की वे गरीबों की मदद के लिए आगे आयें। इस आह्वान के साथ-साथ उन्होंने चेतावनी देते हुये यह भी कहा कि यदि समृद्ध लोगों ने वक्त की आवाज अर्थात् गरीबों के उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो गरीबो के सब्र की घड़ी समाप्त हो सकती है जिसके सामाजिक एव आर्थिक परिणाम बुरे होंगे। श्री शेखावत की अपील से स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य इस योजना को सामूहिक योजना बनाना है जिसमे समाज का प्रत्येक वर्ग अपने सामर्थ्यानुसार सहयोग दे और इसकी सफलता पर अपने प्रयासो के लिए गौरव का अनुभव कर सके।

उनकी इस अपील का समृद्ध लोगो पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप जयपुर जिले की दौसा तहसील के व्यापारियों ने घोषणा की कि वे अपने शुद्ध लाभ का १० प्रतिशत अन्त्योदय परिवारों के उत्थान के लिए देंगे।

इसी प्रकार बम्बई में राजस्थानी प्रवासियों ने मिलकर ७०० अन्त्योदय परिवारो को गोद लेने का निर्णय लिया है। अर्थात् उन ७०० परिवारो के आर्थिक उन्नति की जिम्मेदारी वे ग्रहण करते है। इन प्रवासियो ने यह निर्णय भी लिया कि वे

इन परिवारों को अपने-अपने उद्योगो में नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें । इसी प्रकार बंगलौर में राजस्थानी प्रवासियों ने भी घोषणा की कि वे भी अन्त्योदय परिवारो की उन्नति के लिए हर सम्भव सहायता देने को तैयार हैं ।

उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य कोटड़ा क्षेत्र के १६ साहूकारो ने अन्त्योदय परिवारों से बकाया ऋण वसूल नहीं करने और उन्हे ऋण मुक्त करने का निर्णय लिया है । इस घोषणा से अन्त्योदय परिवारों को डेढ़ लाख के ऋणों से मुक्ति मिल जायेगी । यह ऋण मुक्ति उन परिवारों को आर्थिक रूप से न केवल सम्बल प्रदान करेगी बल्कि उनमें अपनी जीविका कमाने के प्रति नया आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकेगी । यदि प्रदेश के सभी साहूकार समाज की उन्नति के लिए इस प्रकार का बलिदान करें तो अवश्य ही समाज के आर्थिक पुर्ननिर्माण में उनकी यह महत्वपूर्ण देन होगी ।

इस योजना की सफलता के लिए धनी व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीके से उन्हें प्रेरित किया जा सकता है ।

१. आर्थिक रूप से समृद्ध और साहूकारों को अन्त्योदय परिवारों की सहायता के लिए प्रेरित करने के लिए यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वे जितनी धन राशि इन अन्त्योदय परिवारों के कल्याण के लिए खर्च करें उस धनराशि पर लगाये जाने वाले आयकर से उन्हें मुक्ति प्रदान करें । लेकिन यह धन राशि साहूकारों को सरकार के माध्यम से खर्च करनी होगी वरना इस सहूलियत का दुरुपयोग भी हो सकता है ।

(२) ऐसे साहूकार जो अन्त्योदय परिवारों की सहायता करने में अग्रणी रहते हैं उन्हे समाज कल्याण कार्य हेतु सरकार

द्वारा विशेष समारोह आयोजित कर प्रशंसा पत्र दिये जाने चाहिए।

(३) उद्योगपति अन्त्योदय परिवारों के लिए अपने उद्योगों में रिक्त पदों में से कुछ प्रतिशत सुरक्षित स्थान रखें तो उन्हें उद्योग संबंधी कुछ रियायतें दी जा सकती हैं।

(४) नये उद्योग खोलने के लिए दिये जाने वाले लाइसेंसों के लिए निर्धारित शर्तों मे यह भी सम्मिलित किया जा सकता है कि इन उद्योगों में अन्त्योदय परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि योजना की सफलता के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग प्राप्त करना होगा तब ही यह योजना जनसाधारण की योजना बन सकेगी तथा जिसकी सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको उत्तरदायी समझेगा।

□□

अध्याय ४

मूल्यांकन

इस योजना की सफलता या असफलता को आंकने के लिए प्रत्येक जिले में प्राप्त उपलब्धियों का अध्ययन करना आवश्यक होगा। उसी आधार पर कहा जा सकता है कि योजना के क्रियान्वयन में किस सीमा तक सफलता मिली है।

अजमेर :

अजमेर जिले के अन्तर्गत कुल गांवों की संख्या ९५७ है। ३१ अगस्त, ७८ तक समस्त गांवों से ७२१७ अन्त्योदय-परिवारों का चयन हो चुका है। राज्य सरकार की ३१ अगस्त, ७८ की विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त के अन्त तक ३४११ परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है इस विज्ञप्ति के अनुसार ७४३ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, ११६४ व्यक्तियों को भूआवंटन और १७८ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त ४६६ व्यक्तियों को ऋण वितरित किये गये हैं तथा ६६३ व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं। जिनके वितरण की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है इस प्रकार से अब तक इस जिले की उपलब्धि ४४·३३% है।

अलवर :

अलवर जिले के अन्तर्गत कुल १८७६ गांव हैं इन सभी गांवों में अन्त्योदय परिवारों का चयन पूरा कर लिया गया है। इन गावो में कुल ८५७२ परिवारो का चयन हुआ है। इन परिवारों में से १२६० परिवारों को पेंशन, ४१३३ को भूमि का आवंटन, १२५ को रोजगार, १६३६ को ऋण का वितरण तथा १२६१ को ऋण स्वीकार तो हो गया है लेकिन ऋण का वितरण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ५७ परिवारो को अन्य प्रकार से लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार से कुल ८४७५ व्यक्तियों को लाभावित किया गया है जो कुल परिवारो का ९८.८६ प्रतिशत है।

बांसवाड़ा :

जिला बांसवाड़ा के सभी १४६२ गावों में परिवारों का चयन कर लिया गया है। इन गांवों में कुल ७१३३ परिवार चयनित किये गये हैं। इनमें से ३१९ परिवारो को पेंशन, २३१२ को भूमि का आवंटन, २४३८ को रोजगार उपलब्ध कराया गया, ६८१ को ऋण वितरित किया गया तथा २५८ को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है लेकिन ऋण वितरण करना सम्भव नही हो पाया है। इस तरह से जिले में लाभांवित होने वाले परिवारों की संख्या ६००८ है जो कुल परिवारों का ८४·२२ प्रतिशत है।

बाड़मेर :

इस सीमान्त जिले के ८८४ आबाद गांवों में से ३९४२ परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों में से १ हजार ७७२ परिवार अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति के हैं जो

कुल चयनित परिवारो का ४५ प्रतिशत है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त के अन्त तक ५०७ व्यक्तियों को वृद्धावस्था एव अपाहिज पेंशन और ८६६ परिवारों को १० हजार ५४६ एकड़ भूमि आवंटित की गई है। करीब ५१ परिवारों को गाय, बैल, ऊंट गाडी या भैंस क्रय करके दी गई है। ५ परिवारो को सार्वजनिक कार्यों पर नियोजित किया गया है। इस योजना के तहत जिले में लगभग १ हजार परिवारों को ऊन कातने के चरखे और ५० परिवारों को बुनने के लिए करघे दिये जायेंगे। इनकी सहायता से ये परिवार अपनी जीविका का उपार्जन कर सकेंगे। इस प्रकार जिले में २३८२ परिवारो को आर्थिक सम्बल दिया जा चुका है। ८३८ परिवारो को ऋण स्वीकृत करा दिया गया है जिसका भुगतान शीघ्र करने की व्यवस्था की जा रही है। अगस्त मास के अन्त तक लाभान्वित परिवारों का प्रति- ५६.४१ रहा है।

भरतपुर :

भरतपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी १८८६ गांवों में परिवारो के चयन का कार्य पूरा हो गया है। इस जिले मे कुल ११५६६ परिवारो का चयन किया गया है। इनमें से ३६६४ अशक्त एवं असहाय जनो को पेंशन का लाभ दिया गया है। ७७८ परिवारों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया है तथा ८२२ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। २१७ परिवारों को जीवनयापन साधन जुटाने हेतु दुधारू पशु, बैलो की जोड़ियां, बैल गाडियां, रिक्शा, तागा, अथवा अपना निजी उद्योग धन्धा चलाने हेतु बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत दिया जा चुका है। इनमे से १८० परिवारों को लगभग ३ लाख रुपये के ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया है। १३६५ परिवारों

को ऋण स्वीकृत करा दिया जिसका वितरण किया जाना है। १८४८ परिवारों को कताई के लिए चर्खे देने की स्वीकृति की जा चुकी है जिनका वितरण शीघ्र कर दिया जावेगा। अब तक लाभान्वित परिवारों की संख्या ६९४७ है जो कुल चयनित परिवारों का ५९.६० प्रतिशत है।

भीलवाड़ा :

भीलवाड़ा जिले के सभी १५२१ गांवों में परिवारों के चयन का कार्य पूरा हो गया है। इस गांवो में कुल ५७०६ परिवारों का चयन किया गया है। जिले में ४१९ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन तथा ५१ अपाहिज व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिले के २३४१ परिवारो को भूमि का आवटन किया गया है। १०० व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया है और १८ व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त ३५८ परिवारो को ऋण तो स्वीकृत करा दिया गया है लेकिन वितरण करना शेष है। इस प्रकार से कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या ३२३२ है जो कुल चयनित परिवारों का ५६.६६ प्रतिशत है।

बीकानेर :

इस जिले के सभी ५३८ गावों में परिवारों के चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन गांवों में कुल २३९४ परिवारों का चयन किया गया है। इनमे से २७३ को वृद्धावस्था पेंशन, ३७६ को भूमि आवटन, ३९ को रोजगार ३८३ को ऋण की व्यवस्था की गई है तथा ७०२ को ऋण स्वीकृत किया गया है जिसका वितरण होना है। इसके अतिरिक्त ३९९ अन्य परिवारों को अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस प्रकार से कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या २१४२ है जो कुल परिवारों का ८९.४७ प्रतिशत है।

बूंदी :

बूंदी जिले के सभी ७३३ गांवों में कुल ३३३० परिवारों का चयन किया गया है। इनमें से २६० को वृद्धावस्था पेंशन १२९२ को भूमि का आवटन ३२ को रोजगार, ८३ को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। ६१० परिवारों को ऋण स्वीकृत करा दिया गया जिसका भुगतान उन्हे शीघ्र करवा दिया जावेगा। अब तक की उपलब्धि २२७७ परिवारों को लाभान्वित करना है जो कुल परिवारों का ६८.२८ प्रतिशत है :

चित्तौड़गढ़ :

जिले के कुल २३५६ गावों में ८८९६ परिवारों का चयन किया गया है। जिनमें से ८८२ को पेंशन, २३२८ को भूमि का आवटन, १७१ को रोजगार १७७७ को ऋण दिया गया है। ५४१ परिवारो को ऋण स्वीकृत कराया गया है जिसका भुगतान सम्भव नहीं हो सका है। इस प्रकार से ५२५९ परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं जो कुल चयनित परिवारो का ५९.१३ प्रतिशत है।

चूरू :

चूरू जिले के ८४४ गावों में कुल ४१७३ परिवारों का चयन किया गया है। इनमें से ३०३ परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन ३६७ को भूमि का आवंटन, ३२७ को अस्थाई रोजगार तथा ७९९ को ऋण दिया गया तथा ६३१ को ऋण स्वीकृत करवा दिया गया है इस जिले में २३७४ परिवारो को

लाभांवित किया जा चुका है। इस जिले में ५६.८८ प्रतिशत परिवारों को लाभांवित किया जा चुका है।

डूंगरपुर :

इस जिले के कुल ८३२ गांवों में ४१६० परिवारों का चयन किया गया है। इनमें से ४६२ को वृद्धावस्था पेंशन, ३८२ को भूमि का आवंटन, २६२ परिवारों को विभिन्न राहत कार्यों तथा सोम कमला आम्बा सिंचाई परियोजना पर लगाया गया है। २५४ परिवारों को कुओं के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया गया है तथा ४४१ को ऋण दिलाना शेष है। इस तरह से कुल चयनित परिवारों का ४३.२६ प्रतिशत है।

प्रशिक्षित आदिवासी मत्स्य पालकों को विभिन्न बैंकों से ऋण दिलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर आत्म-निर्भर बन सकें। इसके अलावा इन लोगों को मछली पालन के लिए तालाबों का आवंटन करने की भी व्यवस्था की जा रही है। २२ आदिवासियों को फिलहाल नाईलोन का धागा क्रय कर के मछली पकड़ने का जाल बनाने की ओर प्रेरित किया गया है। ११ अन्य व्यक्तियों को २५०-२५० का अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराया गया है।

गंगानगर :

गंगानगर जिले के १५११ गावों में कुल ६३२६ परिवारों का चयन किया गया है। इनमें से १७४१ को वृद्धावस्था पेंशन, ७४२ को भूमि का आवंटन, १०० को अस्थाई रोजगार, ७१५ परिवारों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया है। ११३ अन्य परिवारों को विभिन्न उद्योगों के लिए १ लाख ४२ हजार

के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। इस राशि में ४७ हजार ३३३ की अनुदान-राशि भी सम्मिलित है। लाभान्वित परिवार कुल परिवारों के ४४ ३३ प्रतिशत हैं।

जयपुर :

जयपुर जिले के २७१६ गांवों में से १२७२६ परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों में से लगभग ७५०३ हजार परिवारो को ऋण, कृषि भूमि तथा अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है। चयनित परिवारों में से १८३२ को पेंशन, २०२३ को भूमि का आवंटन, १२४ को अस्थाई रोजगार तथा २४ अन्य परिवारों को भी किसी न किसी प्रकार की सहायता दी गई है। ३३७८ परिवारों को विभिन्न कार्यों के लिए ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, इनमें से १०१३ परिवारो को ऋण का भुगतान कर दिया गया है शेष परिवारों को शीघ्र ही ऋण का भुगतान कराने की व्यवस्था की जा रही है। १४६ परिवारो को अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। लाभान्वित परिवार कुल चयनित परिवारों का ५८.९६ प्रतिशत हैं।

जैसलमेर :

इस जिले के कुल ४०९ गावों में चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है। चयनित परिवारो की संख्या २२१४ है। इनमें से १९८ को पेंशन ४२२ को भूमि का आवंटन, ९ को अस्थाई रोजगार, ८३ को बैंक से ऋण उपलब्ध कराया गया है तथा ३१२ परिवारो को ऋण स्वीकृत करा दिया गया है जिसका भुगतान करना बाकी है। ३०९ परिवारों को अन्य प्रकार से लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार से १३३३ परिवारो को लाभ पहुंचाया गया है जो कुल परिवारो का ६० २० प्रतिशत है।

चयन किया गया है। इनमें से ७६७ को पेंशन, २३० को भूमि का आवंटन, १५० को अस्थाई रोजगार तथा १०४६ को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया है। ११४६ मामलों मे ऋण की स्वीकृति हो चुकी है अन्य २५४ को किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान की गई है। जिले में लाभान्वित परिवार कुल परिवारों का ५७.८७ प्रतिशत हैं।

पाली :

जिले के ८२१ गांवों में ४६१४ परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों में से ७२६ को वृद्धावस्था पेंशन, ७१८ को भूमि का आवटन, २६१ को अस्थाई रोजगार ८२७ को ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। १५१५ परिवारों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है जिसका भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा। सामान्वित परिवारों का प्रतिशत कुल परिवारों का ८५.६० प्रतिशत है।

सवाईमाधोपुर :

जिले के १६४५ गांवों में से १५३१ गांवों में परिवारों का चयन किया गया है। इन चयनित परिवारो की सख्या ६६२३ है। ३१ अगस्त को सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अब तक कुल ४८०१ व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इनमे से १६५१ को वृद्धावस्था पेंशन, ५१५ को भूमि का आवटन, ४१६ व्यक्तियो को ६ लाख ६६ हजार ७०० रु० का ऋण एवं अनुदान, १७२ को अस्थाई रोजगार तथा ३१ व्यक्तियों को ५७ हजार ६०० रु० का ऋण एव अनुदान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से दिलाया गया है। १३०६ परिवारो को ऋण स्वीकृत करा दिया गया है जिसका भुगतान शीघ्र करा दिया जावेगा तथा ८०६ को ऋण का भुगतान कर

दिया गया है। ५१ परिवारों को अन्य प्रकार से लाभ पहुचाया गया है। लाभ प्राप्त करने वाले परिवार कुल परिवारो का ६०.३५ प्रतिशत है।

सीकर :

जिले के ८११ गांवों में से ५८७३ परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों में से अब तक ३२८४ परिवार, जो कि चयनित परिवारों का ५५.६१ प्रतिशत है, लाभान्वित हो चुके हैं।

अब तक ४३६ परिवारों को १२ लाख ६७ हजार ६४३ रु० के ऋण दिये जा चुके हैं तथा जिला विकास अधिकरण द्वारा इन लोगो को दो लाख १८ हजार ५८६ रु० का अनुदान भी अब तक दिया जा चुका है। १ हजार ८४६ परिवारो को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है। ८१ परिवारो को कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया गया है। ६१ लोगों को विभिन्न स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। शेष लोगो को मुर्गा व सूअर पालन, सिलाई के लिए मशीन खरीदने एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण दिये गये हैं।

सिरोही :

जिले के ४८४ गांवों में से केवल ४३६ गांवों मे ही चयन का कार्य पूरा हुआ है। कुल चयनित परिवारों की संख्या २५८४ है। इनमे से ५६७ को वृद्धावस्था पेंशन, ८४ को भूमि का आवंटन, २३२ को ऋण दिया गया है। ३८१ व्यक्तियों के ऋण स्वीकार कर दिये गये जिसके भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। कुल ५०.०२ परिवारों को लाभ मिल पाया है।

टोंक :

जिले के १००५ गावों में कुल ४३३१ परिवारों का इस योजना के अन्तर्गत चुनाव किया गया था। इनमें से ५०४ को वृद्धावस्था पेंशन, ९९८ को भूमि आवंटन, १०१५ परिवारों को ऋण दिये गये हैं। तथा ५८७ परिवारों को ऋण स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार से कुल ३०३५ परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है।

स्वीकृत ऋण राशि मे से ७२२ परिवारों को १० लाख ९५ हजार ५४५ रु० की राशि वितरित की गई है। इनमें से ६२१ परिवारो को १० लाख ५२ हजार ७४५ रु० व्यापारिक बैंकों द्वारा, ९४ परिवारो को ३२ हजार ९०० रु० केन्द्रीय सरकारी बैंक द्वारा, ४ परिवारों को ४५०० रु० उद्योग विभाग द्वारा तथा ३ परिवारो को ५ हजार ४०० रु० खादी बोर्ड द्वारा सुलभ कराये गये। इस प्रकार लाभान्वित परिवार कुल परिवारो का ७०.०७ प्रतिशत है।

उदयपुर :

जिले के ३०२९ गावों में कुल १०४९४ परिवारों का चयन किया गया है। इनमें से ११०५९ परिवारो के लिए उनकी पसन्द के व्यवसायो की परियोजनाएं बनाई गई है जिनके लिए २.४० करोड रुपये की आवश्यकता होगी। जिला प्रशासन ने अब तक जिले के विभिन्न व्यवसायिक बैंको से ६०४८ परिवारों को लगभग १ करोड़ २१ लाख रुपये के ऋण स्वीकृत कराये हैं। यह ऋण राशि बैल, बैलगाडी, कूप निर्माण, भेड एव बकरी पालन, दुधारु पशु, चर्म उद्योग, साइकिल तथा चाय की दुकान, तांगा, काष्ट कला, लुहार का कार्य आदि अनेक

व्यवसायों के लिए दी जा रही है। जिले में १८५५ वृद्ध एव बेसहारा लोगो को जीवनयापन के लिए प्रति मास प्रति व्यक्ति ४० रु० पैंशन स्वीकृत की गई है। ६३८२ परिवारों को २२२४० एकड भूमि आवटित की गई है तथा १३ परिवारों को अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले की उपलब्धि ९९.०० प्रतिशत है। जिले में कुल १५३३९ परिवारों को लाभ पहुचाया जा चुका है।

राज्य के सभी जिलों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रदेश के ३२९४९ गावों मे से ३२६३८ गावों मे परिवारो के चयन का कार्य सम्पन्न हुआ है। इस चयनित परिवारो की कुल सख्या १८०५१७ है। इसमें से लगभग २४८५७ व्यक्तियों को जो बेसहारा, अपाहिज व वृद्धावस्था के कारण कमाने में समक्ष नही है ४० रु० मासिक पंशन देकर जीवनयापन का साधन सुलभ कराया गया है। राज्य मे ३७३३८ व्यक्तियो को कृषि योग्य भूमि का आवटन कर उन्हें कृषि कार्य मे लगाने की व्यवस्था की गई है। कृषि कार्य हेतु आवश्यक साधनों एव उपकरणों के लिए व्यवसायिक एव सहकारी बैंकों से ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। ५४६७ व्यक्तियों को विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों पर लगाकर अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया गया है। १९८३१ व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए बैंकों से कर्जा दिलवाया जा चुका है तथा २३४३७ व्यक्तियों के मामलो मे ऋण स्वीकृत किया जा चुका है जिसके भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। अन्य २१७६ व्यक्तियो को अन्य साधनो द्वारा लाभान्वित कर अपने पैरो पर स्वय खडे होने के योग्य बनाया गया है। इस प्रकार से कुल ११३१०६ व्यक्तियो को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित कर आर्थिक रूप मे आत्मनिर्भर बनाया गया है जो कुल चयनित परिवारों का ७० ४२ प्रतिशत है।

प्रदेश में व्याप्त निर्धनता के विरुद्ध यह संघर्ष यद्यपि बड़ा लम्बा और कठिन है किन्तु लोगों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा वित्तीय संस्थाओं के आपसी सहयोग से इसमें सफलता पाना असम्भव नहीं है । अब तक जिस तरह से इस दिशा में काम हुआ है और जिस प्रकार का अनुकूल वातावरण बना है उससे आशा बंधती है कि दरिद्रनारायण के उद्धार का बापू का सपना सार्थक हो सकेगा और युग युग से अभाव और निर्धनता से जूझ रहे लोगों में आत्मसम्मान उत्पन्न होगा तथा वे स्वावलम्बी बनकर अपना जीवनयापन कर सकेंगे ।

विभिन्न प्रतिक्रियाएं

विकास की पंक्ति के अन्त में खडे हुये व्यक्ति को आर्थिक उत्थान कर उसे स्वावलम्बी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई अन्त्योदय योजना पर विभिन्न प्रतिक्रियाऐं इस प्रकार हैं —

महामहिम राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी

"I have not come across such a welfare scheme during the last thirty years. If implemented with determination, it will be a remarkable achievement of the Government. Care should be taken to solve the difficulties coming in the way of its implementation so that maximum benefits could reach the masses.

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई

राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए लागू की गई इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत को मुबारकबाद देते हुए उन्हें आशा प्रकट की कि अन्य राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू कर गरीबों के उत्थान के लिए ठोस कार्य करेंगी।

लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण

पटना में दिये गये एक सन्देश में जयप्रकाश नारायण ने कहा है मुझे यह जानकर खुशी है कि राजस्थान सरकार अपने बजट का ६४ प्रतिशत गांव के विकास पर खर्च कर रही है और मुख्यतः गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि किसानों के जमीन संबंधी मामले गांवों में ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिये राजस्व अभियान चला कर नौ लाख मामले निपटाये जा चुके हैं जिससे किसानों को काफी राहत मिली है।

पिछली साल महात्मा गांधी की समाधि पर जनता पार्टी के नेताओं ने शपथ ली थी कि वे अन्त्योदय का कार्यक्रम चलायेंगे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि राजस्थान सरकार ने ३३ हजार गांवों में लगभग डेढ लाख सबसे गरीब परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, अपनी विकास योजना में शामिल किया है। यह एक अद्भुद कार्यक्रम सरकार ने उठाया है, इस

कार्यक्रम के अन्तर्गत हर साल गांव के सबसे गरीब पांच परिवारों का चयन किया जायेगा। मुझे बताया गया कि अब तक ८० हजार परिवारों के लिये जीविकोपार्जन के साधन जुटाये गये हैं। यह सचमुच एक महत्व की बात है गांधी जी ने हमेशा अन्त्योदय पर जोर दिया था। आजादी के बाद ही यह कार्यक्रम लिया जाना चाहिए था किन्तु जवाहरलाल नेहरू की आधुनिकीकरण की योजना में गांवों की उपेक्षा होती रही है। फलस्वरूप आज भी गांवों की हालत दयनीय है। इस हालत को सुधारने के लिये राजस्थान सरकार ने अन्त्योदय का कार्यक्रम उठाया है और सुदूर गांवों में बसे हुये गरीब परिवारों को उसने अपनी विकास योजना में प्राथमिकता दी है। मुझे बताया गया कि इस कार्य-क्रम के लिए चुने हुये परिवारों में लगभग ५५ प्रतिशत पिछड़ी जाति के १५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। मैं इसको सम्पूर्ण क्रांति के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानता हूं और इसकी सफलता चाहता हूं।

राजस्थान सरकार ने यह जो कार्यक्रम उठाया है वह कठिन अवश्य है। परन्तु मुझे विश्वास है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद वह इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मैं राजस्थान के युवकों और छात्रों से भी यह अपील करता हूं कि वे गरीबों के उत्थान के इस बुनियादी कार्यक्रम में जुट जायें। मैं भारत सरकार, विशेष रूप से योजना आयोग से भी अपनी अपील करना चाहूंगा कि वे इस अन्त्योदय कार्यक्रम को अपनी योजना में स्थान दे।

अगर मेरा स्वास्थ्य इजाजत देता तो मैं स्वयं जाकर अन्त्योदय के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करता। परन्तु मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्थान के सभी मित्रों को,

विशेष कर राजस्थान के मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं और राजस्थान की जनता को अपनी मंगल कामना भेजता हूं।

□□

श्री चन्द्रशेखर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय जनता पार्टी

इस योजना के माध्यम से गरीबों के उत्थान को देखकर श्री चन्द्रशेखर ने जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को इस योजना को अपने अपने प्रान्तों मे लागू करने का सुझाव दिया है ताकि जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार गरीबी उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर सके।

□□

भारत के प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई को उद्बोधन प्रकाशन के प्रकाशक
डॉ० इन्द्रकुमार तिवाड़ी द्वारा भरतपुर में "अन्त्योदय
और गरीबी उन्मूलन" नामक पुस्तक
दिनांक १२ नवम्बर १९७८
को भेंट की गई।